राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली

izFke&ekxZnf'kZdk jktuhfr&foKku

2016-17

2016-17

प्रथम-मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

jk"Vªokn ,oa fodkl

xq.kkRed] :fpdj ,oa fØ;kRed
v/;;u ekxZnf'kZdk
(jktuhfr&foKku izoDrkvksa gsrq)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली

मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

गुणात्मक, रूचिकर एवं क्रियात्मक अध्ययन मार्गदर्शिका

(राजनीति-विज्ञान प्रवक्ताओं हेतु)

2016-17

SCERT
स्वाध्यायान्मा प्रमदः

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

तृतीय-मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

राजनीतिक सिद्धांत व अवधारणाएँ

मुख्य सलाहकार

पी.एस. श्रीवास्तव

आई.ए.एस. शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार

चेयरपर्सन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली

मार्ग दर्शन

श्रीमती अनिता सेतिया

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

डॉ. प्रतिभा शर्मा

संयुक्त निदेशक एवं राज्य शिक्षक समन्वयक एस.सी.ई.आर.टी.

शैक्षिक समन्वयक

डॉ. नीलम

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट केशव कुमार

लेखन समूह

डॉ. नीलम	डाइट राजेन्द्र नगर
डॉ. पवन कुमार	डाइट केशव पुरम
श्रीमान मवन साहनी	सी.बी.एस.ई. विषय विशेषज्ञ
डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान श्याम किशोर गुप्ता	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान तपराज वत्त	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान रमेश	रावल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
मोहम्मद नासिर	शिक्षा निदेशालय
श्रीमती ऊषा किरन	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान अरुण कुमार	एस.सी.ई.आर.टी.
श्रीमान राजीव रंजन	एस.सी.ई.आर.टी.

वेटिड एवं सम्पादन

श्रीमान मवन साहनी

डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी

प्रकाशन समूह

सपना यादव एवं **मीनाक्षी यादव**

प्रकाशक : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

टंकण : एजूकेशनल स्टोर्स, एस-5, बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-I, गाजियाबाद (उ.प्र.)

विषय-सूची

1.	राजनीतिक-सिद्धान्त-एक परिचय	40
2.	अधिकार	46
3.	भारतीय संविधान में अधिकार	51
4.	नागरिकता	60
5.	स्वतंत्रता	63
6.	समानता	69
7.	धर्मनिरपेक्षता	74

आमुख-1

21 वीं सदी में सरकार का मुख्य ध्यान आम आदमी को सशक्त करते हुए जीवन के बुनियादी कौशलों को विकसित करना है ताकि भारत के लोकतंत्र को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र भविष्य के आने वाले नागरिक है अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करें बल्कि वे जिम्मेदार व उत्पादित नागरिक बन सके।

प्रस्तुत सहायक पाठ्य सामग्री शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ताओं हेतु और तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का विस्तार करना है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद तथा मण्डलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय-समय पर तैयार की गयी शिक्षक संदर्शिकाए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रयास है। इन शिक्षक संदर्शिका का उद्देश्य शिक्षण अधिगम को अधिक अंतः क्रियात्मक बनाना है जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005 में रेखाकिंत है।

मैं इन विषय विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। साथ ही मैं संदर्शिका लेखन में सम्मिलित संयोजकों, लेखक समूह व संपादन मंडल के साथ-साथ सभी राज्य शैक्षिक व अनुसंधान परिषद तथा मंडलीय शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदाधिकारियों व प्रकाशन विभाग के अमूल्य योगदान की सराहना करती हूँ।

यह मेरा मूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत संदर्शिका अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी आपके सुझाव एवं विचार आंमत्रित है।

–अनिता सेतिया

निदेशक

आमुख-2

प्रस्तुत सहायक पाठ्यसामग्री को राजनीति-विज्ञान की अवधारणा के अनुसार संबंद्ध करने का प्रयास किया गया है। कक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं के विभिन्न संबधित अध्यायों को इस माड्यूल में मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों कक्षाओं की राजनीति विज्ञान की सामग्री को 6 माड्यूल्स के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है:-

1. प्रथम माड्यूल→ राष्ट्रवाद एवं विकास
2. द्वितीय माड्यूल→ संविधान का दर्शन एवं व्यवहार
3. तृतीय माड्यूल→ राजनीतिक सिद्धाँत व अवधारणाएँ
4. चतुर्थ माड्यूल→ समकालीन विश्व संगठन एवं भारत
5. पंचम माड्यूल→ भारतीय शासन एवं राजनीति
6. षष्टम माड्यूल→ शीतयुद्धोत्तर विश्व राजनीति

उपरोक्त माड्यूल्स के अतंर्गत अवधारणाओं को इस रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिससे एक समझ बने न कि अवधारणाएँ केवल ज्ञान तथ्यों एवं सूचनाओं तक ही सीमित रह जाए। साथ ही प्रत्येक प्रकरण में अभ्यास व क्रियाकलापों को रोचक बनाते हुए इस तरह संरचित किए गए है जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत संवर्धित मूल्यों की भी बात की गयी है जो कि संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित है।

माड्यूल निर्माण में जो समूह कार्य के लिए बनाया गया उन्हें लंबा शिक्षण अनुभव है।

माड्यूल निर्माण समिति के सदस्यों की शैक्षिक विशेषज्ञता और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य समय और इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग के लिए में आभार व्यक्त करती हूँ/करता हूँ।

–डॉ. नीलम

डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

डाइट केशव पुरम्

POLITICAL SCIENCE (028)
Class - XI (2016-17)

One Paper | Marks: 100
Time: 3 hrs.

Units		Periods: 220	Marks: 100
Part A: Indian Constitution at work			
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights in the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	The Executive	11	
5	The Legislature	11	10
6	The Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a living document	11	8
	Total	**110**	**50**
Part B: Political Theory			
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	11	10
19	Development	11	
	Total	**110**	**50**

COURSE CONTENT

Part A: Indian Constitution at Work

1. **Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution** **17 Periods**

   Constitution: Why and How, The making of the Constitution, the Constituent Assembly, Procedural achievements and Philosophy of the Constitution.

2. **Rights in the Indian Constitution** **16 Periods**

The importance of Rights, Fundamental Rights in the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy, Relationship between Fundamental Rights and Directive Principles

3. **Election and Representation** **11 Periods**

Elections and Democracy, Election System in India, Reservation of Constituencies, Free and Fair Elections, Electoral Reforms

4. **Legislature** **11 Periods**

Why do we need a Parliament? Two Houses of Parliament. Functions and Power of the Parliament, Legislative functions, control over Executive. Parliamentary committees. Self-regulation.

5. **Executive** **11 Periods**

What is an Executive? Different Types of Executive. Parliamentary Executive in India, Prime 'Minister and Council of Ministers. Permanent Executive: Bureaucracy.

6. **Judiciary** **11 Periods**

Why do we need an Independent Judiciary? Structure of the Judiciary, Judicial Activism, Judiciary and Rights, Judiciary and Parliament.

7. **Federalism** **11 Periods**

What is Federalism? Federalism in the Indian Constitution, Federalism with a strong Central Government, conflicts in India's federal system, Special Provisions.

8. **Local Governments** **11 Periods**

Why do we need Local Governments? Growth of Local Government in India, 73rd and 74th Amendments, implementation of 73rd and 74th Amendments.

9. **Constitution as a Living Document** **11 Periods**

Are Constitutions static? The procedure to amend the Constitution. Why have there been so many amendments? Basic Structure and Evolution of the Constitution. Constitution as a Living Document.

Part B: Political Theory

10. **Political Theory: An Introduction** **10 Periods**

What is Politics? What do we study in Political Theory? Putting Political Theory to practice. Why should we study Political Theory?

11. **Freedom** **11 Periods**

The Ideal of Freedom. What is Freedom? Why do we need constraints? Harm principle. Negative and Positive Liberty.

12. **Equality** **11 Periods**

Significance of Equality. What is Equality? Various dimensions of Equality. How can we promote Equality?

13. **Social Justice** **12 Periods**

What is Justice? Just Distribution. Justice as fairness. Pursuing Social Justice.

14. **Rights** **11 Periods**

What are Rights? Where do Rights come from? Legal Rights and the State. Kinds of Rights. Rights and Responsibilities.

15. **Citizenship** **11 Periods**

What is citizenship? Citizen and Nation, Universal Citizenship, Global Citizenship

16. **Nationalism** **11 Periods**

Nations and Nationalism, National Self-determination, Nationalism and Pluralism

17. **Secularism** **11 Periods**

What is Secularism? What is Secular State? The Western and the Indian approaches to Secularism. Criticisms and Rationale of Indian Secularism.

18. **Peace** **11 Periods**

What is Peace? Can violence ever promote peace? Peace and the State. Different Approaches to the pursuit of peace. Contemporary challenges to peace.

19. **Development** **11 Periods**

What is development? Dominant, development Model and alternative conceptions of development.

Prescribed Books:

1. Indian Constitution at work, Class XI, Published by NCERT
2. Political Theory, Class XI, Published by MCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17

POLITICAL SCIENCE **Code No. 028** **CLASS-XII**

Time: 3 Hours **Max. Marks: 100**

S. No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages	Map Question Picture based inter -pretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks	% weig htage
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific- facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)			1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2 .		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking	1 .	1		1 -	1	2	25	25%
4	**High Order Thinking Skills** (Analysis fit Synthesis-Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation - (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		1×5=5	2×5=10	4×6=24	5×3=15	5×2=10	6×6=36	100	100%

POLITICAL SCIE7NCE (Code No. 028)

Class -XI (2016-17)

Question Paper Design

One Paper 100 Marks

Time: 3 hrs.

Units		Periods	Marks
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights of the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	Executive	11	
5	Legislature	11	10
6	Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a Living Document	11	08
	Total	**110**	**50**
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	11	10
19	Development	11	
	Total	**110**	**50**

3. Weightage of Difficulty Level — Percentage

Weightage of Difficulty Level	Percentage
Estimated difficulty level	20%
Difficult	50%
Average Easy	30%

4. Scheme of Options:

   There is internal choice for long answer questions of 6 marks.

   There are three passage - based questions of 5 marks each. No questions from plus (+) boxes.

5. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

POLITICAL SCIENCE (Code No. 028)

Class -XII (2016-17)

One Paper

Marks: 100

Time: 3 hrs.

Units		Periods	Marks
Part A: Contemporary World Politics			
1	Cold War Era	14	14
2	The End of bipolarity	13	
3	US Hegemony in World Politics	13	
4	Alternative centres of Power	'11	16
5	Contemporary South Asia	13	
6	International Organizations	13	10
7	Security in Contemporary World	11	
8	Environment and Natural Resources	11	10
9	Globalisation	11	
	Total	**110**	**50**
Part B: Politics in India since Independence			
10	Challenges of Nation-Building	13	
11	Era of One-party Dominance	12	16
12	Politics of Planned Development	11	
13	India's External relations	13	6
14	Challenges to the Congress System	13	12
15	Crisis of the Democratic Order	13	
16	Rise of Popular Movements	11	
17	Regional aspirations	11	16
18	Recent Developments in Indian Politics	13	
	Total	**110**	**50**

COURSE CONTENTS

Part A: Contemporary World Politics

1	**Cold War Era** Emergence of two power blocs after the second world war. Arenas of the cold war. Challenges to Bipolarity: Non Aligned Movement, quest for new international economic order.India and the cold war.	14 Periods
2	**The End of Bipolarity** New entities in world politics: Russia, Balkan states and Central Asian states, Introduction of democratic politics and capitalism in post-communist regimes. India's relations with Russia and other post-communist countries.	13 Periods
3	**US Hegemony in World Politics %** Growth of unilateralism: Afghanistan, first Gulf War, response to 9/11 and attack on Iraq.Dominance and challenge to the US in economy and ideology. India's renegotiation of itsrelationshipwith the USA	13 Periods
4	**Alternative Centres of Power** Rise of China as an economic power in post-Maoera, creation and expansion of European Union, ASEAN. India's changing relations with China.	11Periods
5	**Contemporary South Asia in the Post-Cold War Era** Democratisation in Pakistan and Nepal. Ethnic conflict in Sri Lanka, Impact of economicglobalization on the region. Conflicts and efforts for peace in South Asia. India's relations with its neighbours.	13 Periods
6	**International Organizations** Restructuring and the future of the UN. India's position in the restructured UN. Rise of newinternational actors: new international economic organisations, NGOs. How democratic andaccountable are the new institutions of global governance?	13 Periods
7	**Security in Contemporary World** Traditional concerns of security and politics of disarmament. Non-traditional or human Security: global poverty, health and education. Issues of human rights and migration.	11Periods
8	**Environment and Natural Resources**Environment movement and evolution of global environmental norms. Conflicts over traditional and common property resources. Rights of indigenous people. India's stand in global environmental debates.	11 Periods
9	**Globalisation** Economic, cultural and political manifestations. Debates on the nature of consequences of globalisation. Anti-globalisation movements. India as an arena of globalization and struggle against it.	11Periods
Part B: Politics in India since Independence		
10	**Challenges of Nation- Building** Nehru's approach to nation-building; Legacy of partition: challenge of refugee' resettlement, the Kashmir problem. Organisation and reorganization of states; Political conflicts over language.	13 Periods
11	**Era of One-Party Dominance** First three general elections, nature of Congress dominance at the national level, uneven dominance at the state level, coalitional nature of Congress. Major opposition parties.	12 Peroids
12	**Politics of Planned Development** Five year plans, expansion of state sector and the rise of new economic interests. Famine and suspension of five year plans. Green revolution and its political fallouts.	11 Periods
13	**India's External Relations** Nehru's foreign policy. Sino-Indian war of 1962, Indo-Pak war of 1965 and 1971. India's .nuclear programme. Shifting alliance in world politics.	13 Periods
14	**Challenges to the Congress System** Political succession after Nehru. Non-Congressism and electoral upset of 1967, Congress split and reconstitution, Congress' victory in 1971 elections, politics of 'garibi hatao'.	13 Periods

15	**Crisis of the Democratic Order** Search for 'committed' bureaucracy and judiciary. Navnirman movement in Gujarat and the' Bihar movement. Emergency: context, constitutional and extra-constitutional dimensions, resistance to emergency. .1977 elections and the formation of Janata Party. Rise of civil liberties organisations.	13 Periods
16	**Popular Movements in India** Farmers' movements, Women's movement, Environment and Development-affected people's movements. Implementation of Mandal Commission report and its aftermath.	11Periods
17'	**Regional Aspirations** Rise of regional parties. Punjab crisis and the anti Sikh riots of 1984. The Kashmir situation. Challenges and responses in the North East.	11 Periods
18	**Recent Developments in Indian** politicsParticipatory upsurge in1990s. Rise of the JD and the BJP. Increasing role of regional parties and coalition politics. Coalition governments:NDA (1998 - 2004)UPA (2004 - 2014)NDA (2Q14 onwards)	13 Periods

Prescribed Books:

1. Contemporary World Politics, Class XII, Published by NCERT
2. Politics in India since Independence, Class XII, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17
Code No. 028

POLITICAL SCIENCE **CLASS-XII**

Time: 3 Hours **Wax. Marks: 100**

S.No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages and Picutres	Map Question Picture based inter-pretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks age	%weight
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking		1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)		1	1		1	1	2	25	25%
4	High Order Thinking Skills (Analysis & Synthesis- Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety ofsources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation- (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		**1×5=5**	**2×5=10**	**4×6=24**	**5×3=15**	**5×2=10**	**6×6=36**	**100**	**100%**

Note: Care is to be taken to cover all chapters.

The weightage or the distribution of marks over the different dimensions paper shall be as follows:-

1. Weightage of Content

Part A: Contemporary World Politics

Units		Marks
1	Cold War Era	14
2	The End of Bipolarity	
3	US Hegemony in World Politics	
4	Alternative Centres of Power	16
5	Contemporary South Asia	
6	International Organizations	10
7	Security in Contemporary World	
8	Environment and Natural Resources	,0
9	Globalization	
	Total	**50**

Part B: Politics in India since Independence

Units		Marks
10	Challenges of Nation-Building	
11	Era of One-Party Dominance	16
12 .	Politics of Planned Development	
13	India's External Relations	6
14	Challenges to the Congress System	12
15	Crisis of the Democratic Order	
16	Rise of Popular Movements	
17	Regional Aspirations	16
18	Recent Developments in Indian Politics	
	Total	**50**

2. Weightage of Difficulty Level

Estimated difficulty level	Percentage
Difficult	20%
Average	50%
Easy	30%

3. Scheme of Options:

   There-is internal choice for long answer questions.

   Map question has choice only with another map.

   There are three passage-based or picture-based questions.

4. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

No. of Printed Pages : 8

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI

Time : 3 Hrs.] [M. M. : 100

General Instructions :

(i) All questions are compulsory.

(ii) Questions 1 to 5 are of one mark each. The answer to these questions should not exceed to 20 words each.

(iii) Questions 6 to 10 are of two marks each. The answer to these questions should not exceed 40 words each.

(iv) Questions 11 to 16 are of four marks each. The answer to these questions should not exceed 100 words each.

(v) Questions 17 to 19 are passage based. These are of 5 marks each.

(vi) Questions 20 to 21 are map or picture based. These questions too are of 5 marks each.

(vii) Questions 22 to 27 are of six marks each. The answer to these questions should not exceed 150 words each.

सामान्य निर्देश :

(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सभी प्रश्न एक-एक अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(iii) प्रश्न संख्या 6 से 10 तक सभी प्रश्न दो-दो अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रश्न संख्या 11 से 16 तक सभी प्रश्न चार-चार अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(v) प्रश्न संख्या 17 से 19 गद्यांशों पर आधारित हैं। इनके पाँच-पाँच अंक हैं।

(vi) प्रश्न संख्या 20 से 21 मानचित्र अथवा चित्रों पर आधारित हैं। इनके अंक भी पाँच-पाँच हैं।

(vii) प्रश्न संख्या 22 से 27 दीर्घ उत्तरीय हैं। सभी प्रश्न छः-छः अंकों के हैं। इनके उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. What is meant by Mandamus ?

मैंडामस शब्द का क्या अर्थ है ?

2. From which country we borrowed the power of Judicial Review ? 1

भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की धारणा कहाँ से ली गई है ?

3. What is meant by peace. 1

शान्ति से क्या तात्पर्य है ?

4. Write two political rights of a citizen ? ½) 1

नागरिक के दो राजनीतिक अधिकार लिखिए।

5. Write full form of UNDP. 1

UNDP का पूर्ण रूप लिखिए।

6. What do you understand by 'Question Hour' ? 2

'प्रश्न काल' से आप क्या समझते हैं ?

7. Explain any two jurisdictions of Supreme Court. 2

सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए।

8. Mention two features of Indian Federation. 2

भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएँ लिखिए।

9. "Indian Constitution is a living document." Justify by writing your opinion about the statement. 2

"भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है।" अपना तर्क देते हुए इस वाक्य का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

10. Distinguish between natural rights and fundamental rights. 2

प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर बताइए।

11. Describe any four functions of Election Commission of India. 4

भारतीय निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

12. What are the demands raised by states in their quest for greater autonomy ? 4

ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या माँगें उठाई हैं ?

13. Write any four changes that have been made in the Panchayati Raj System under 73rd Constitutional Amendment. 4

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रणाली में किए गए कोई चार परिवर्तन लिखिए।

14. What does it mean to give each person his/her due ? How has the meaning of 'giving each his due' changed with time ? 4

हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है ? हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला जा सकता है ?

15. Mention four differences between State and Nation. 4

राज्य और राष्ट्र में चार अन्तर बताइए।

16. 'Disarmament is necessary.' Why ? 4

'नि:शस्त्रीकरण आवश्यक है।' क्यों ?

17. Read the following passage and answer the questions based on it :

A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognise these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in Constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the 'Bill of rights'. A bill of rights prohibits government from thus acting agains the rights of individuals and ensure a remedy in case there is violation of these rights.

From whom does a Constitution protect the rights of the individual ? The rights of a person may be threatened by another person or private organisation. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So, it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government (the legislature, executive, bureaucracy or even the judiciary) in the course of their functioning, may violate the rights of the person.

(a) How many fundamental rights are given to Indian citizen in the Constitution of India ? 1

(b) In case of violation of the fundamental rights of an individual, which fundamental right ensures remedy ? 1

(c) From whom does the Constitution protect the rights of an individual ? 3

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा-पत्र' कहते हैं। अत: अधिकारों का घोषणा-पत्र

सरकार को नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका) अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

(a) भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?

(b) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में किस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत उनकी रक्षा की गई है?

(c) नागरिक के अधिकारों को किससे संरक्षित किया गया है?

18. Read the following passage and answer the questions :

Positive liberty recognises that one can be free only in society (not outside it) and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society, outside this area, as such. Of cours, negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible keeping in mind, however, the stability of society. Generally they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking agruments of positive liberty.

(a) What is meant by positive liberty? 2

(b) What is the concept of negative liberty? 2

(c) According to the passage what negative statement are given against positive liberty? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

सकारात्मक स्वतन्त्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतन्त्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतन्त्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतन्त्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालाँकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व के ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएँ साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती हैं लेकिन ऐसा भी

हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

(a) सकारात्मक स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है?

(b) नकारात्मक स्वतन्त्रता की अवधारणा क्या है?

(c) गद्यांश के अनुसार, सकारात्मक स्वतन्त्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है?

19. Read the following passage and answer the questions based on it :

Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. Since many of these systems have a sanctions of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting these systems of inequality. This what our constitution does. The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, casts, sex or place of birth. Our Constitution also abolished the practice of untouchability. Most modern Constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race and religion or gender.

(a) What does the government do to establish equality? 2

(b) What is meant by 'Equality before law'? 2

(c) Which article of Constitution abolishes untouchability? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत-सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतान्त्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना 'सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव' के रूप में समाहित किया।

(a) समानता की स्थापना के लिए सरकारों ने क्या किया है?

(b) 'कानून के समक्ष समानता' से क्या अभिप्राय है?

(c) संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है?

20. Study the cartoon given below carefully and answer the following questions :

(a) Who are the people standing in front of the stage ?

(b) Why are these people standing here and why are they looking very humble ?

(c) Which Parliamentary power does this cartoon reflect ?

उपरोक्त दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति कौन हैं ?

(b) ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं तथा इतने दीन-हीन (विनम्र) क्यों दिख रहे हैं ?

(c) कार्टून संसद की किस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है ?

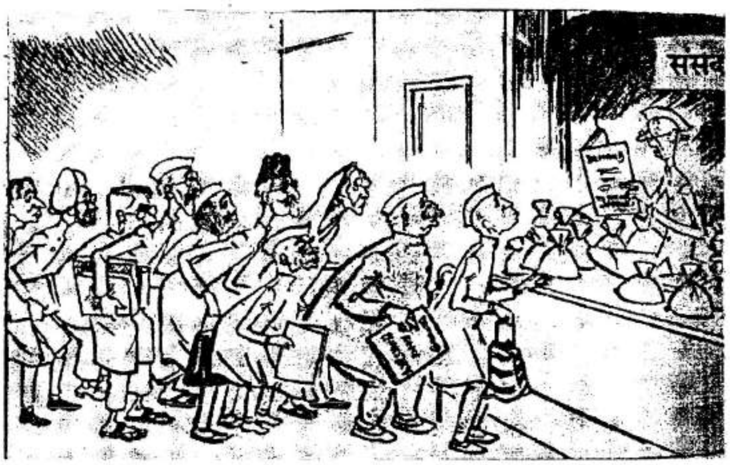

21. Study the picture given below and answer the following questions :

(a) What is meant by development ? 2

(b) What are the problems of developing countries ? 1

(c) Apart from electronic waste, which factors are responsible for damage of environment ? 2

दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) विकास से आप क्या समझते हैं ?

(b) विकासशील देशों की समस्याएँ क्या हैं?

(c) इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अतिरिक्त किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है?

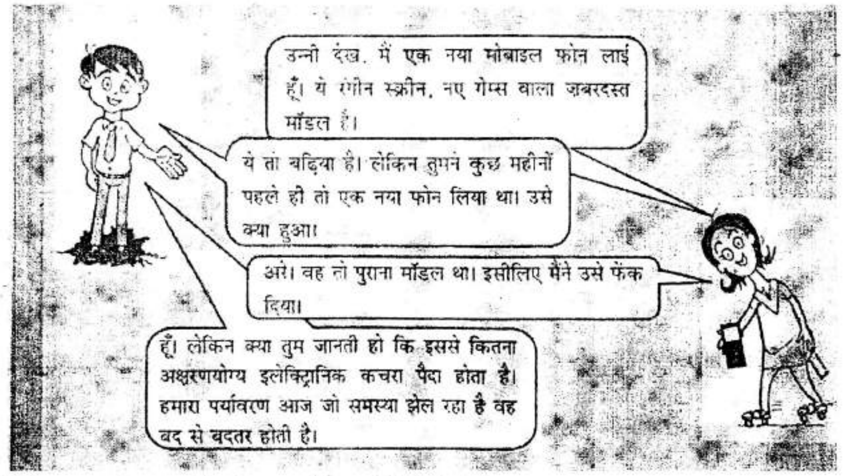

22. "India is a sovereign, secular, democratic republic." Explain. 6

"भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य है।" व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

"The Constitution of India is a bag of borrowings." Discuss.

"भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है।" व्याख्या कीजिए।

23. Distinguish between political executive and permanent executive. 6

राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर लिखिए।

OR / अथवा

Discuss the functions and powers of the Prime Minister.

प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

24. Discuss the amending procedure of Indian Constitution. 6

भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

"Indian Constitution is a blend of regidity and flexibility." Explain and discuss.

"भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है।" व्याख्या कीजिए।

25. Discuss the scope of Political Science. 6

राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the importance of political theory.

राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए।

26. Distinguish between a citizen and an alien. 6

नागरिक और विदेशी में क्या अन्तर है ?

OR / अथवा

How can citizenship be lost. Write in detail.

नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है ? विस्तारपूर्वक बताइए।

27. Is India a secular state ? Give arguments in support of your answer. 6

क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

OR / अथवा

Discuss the factors that establish the independence of judiciary.

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।

Marking Scheme

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI **[M. M. : 100**

1. हम आदेश देते हैं। 1
2. अमरीका के संविधान से। 1
3. युद्ध की अनुपस्थिति। 1
4. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ½ + ½
5. United Nations Development Programme. 1

   संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
6. संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन 'प्रश्नकाल' आता है जिसमें सांसदों द्वारा विभिन्न विषयों या मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों को देने होते हैं। 2
7. प्रारंभिक, अपीलीय, सलाहकारी, मौलिक अधिकारों का रक्षक, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण। (किन्हीं दो का विस्तार) 1 + 1
8. (i) भारतीय संविधान लिखित व कठोर है। 1 + 1

   (ii) केन्द्र व राज्य की शक्तियों का बटंवारा संविधान द्वारा किया गया है।

   (iii) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। (अथवा अन्य कोई भी विशेषता)
9. समय, परिस्थितियों व आवश्यकताओं के साथ परिवर्तनशील है, गतिशील है, या अन्य कोई तर्क। 2
10. (i) मौलिक अधिकार देश के संविधान में होते हैं प्राकृतिक अधिकार नहीं। 1 + 1

    (ii) मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि प्राकृतिक अधिकार नहीं।

    (iii) प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में संभव हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य में उपलब्ध होते हैं। (कोई दो)
11. मतदाता सूचियों को तैयार करना 4 × 1

    चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना

    चुनाव का निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण

    चुनाव करवाना

    उप-चुनाव करवाना

    चुनाव चिन्ह प्रदान करना (अथवा अन्य कोई 4)

12. शक्तियों के बँटवारे में अधिक शक्तियाँ दी जाए जैसे पंजाब और तमिलनाडु सरकारों ने अधिक वित्तीय अधिकार। 4 × 1
प्रशासकीय विषयों पर केन्द्र का कम नियंत्रण।
हिन्दी भाषा को गैर हिन्दी भाषीय राज्यों में लागू न किया जाए।
अन्य भाषाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए।
राज्यपालों को राज्यों की सलाह से नियुक्त किया जाए। (कोई चार)

13. स्थानीय स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। 4 × 1
तीन स्तरीय पंजायतीराज व्यवस्था
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा
पंचायतों की रचना
सदस्यों का चुनाव
पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में
सीटों का आरक्षण (या अन्य कोई चार, संक्षिप्त विवरण)

14. प्लेटो के अनुसार जिसका जिसको प्राप्त है वह देना ही न्याय है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण है। और न्याय का अर्थ भी व्यक्ति को प्राप्य है वही देय है। वर्तमान में व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिमा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हों। सभी के साथ समानता का व्यवहार व अवसरों की समानता हो। (विस्तृत विवरण) 4

15. राज्य के चार अनिवार्य तत्व हैं, राष्ट्र के अनेक तत्व हैं। 4 × 1
राष्ट्र के लिए एकता की भावना अनिवार्य, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य, राष्ट्र के लिए नहीं। (या अन्य कोई 4)

16. विश्व शांति व सुरक्षा के लिए। 4 × 1
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए।
युद्धों की भीषणता कम करने के लिए।
विश्व के आर्थिक विकास के लिए।
सैन्यीकरण व युद्धों को रोकने के लिए।
मानवजाति के कल्याण के लिए। (या अन्य कोई 4 संक्षिप्त विवरण सहित)

17. (i) 6 1
(ii) संविधानिक उपचारों का अधिकार। 1
(iii) व्यक्ति, निजी संगठनों तथा सरकार के विभिन्न अंगों से। 3

18. (i) अनैतिक व निरंकुश प्रतिबन्धों सहित स्वतन्त्रता। 2
(ii) सभी प्रतिबन्धों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। 2
(iii) निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतन्त्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। (i, ii - संक्षिप्त विवरण सहित)

19. (i) बिना किसी धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के भेद के भेदभाव का निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता की स्थापना।

(ii) कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई की कानून से ऊपर या विशेष नहीं है। राज्य भी सभी के लिए एकसा कानून बनाएगा बिना किसी भेदभाव. सभी पर साधारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा, व्यक्ति चाहे कोई भी हो।

(iii) अनुच्छेद 17 (समानता के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत)

20. (i) विभिन्न मन्त्रालयों के मन्त्रिगण। 1

(ii) मन्त्रालयों के लिए धन आबंटित कराने के लिए, संसद से स्वीकृति के पश्चात ही धन आबंटित हो सकता तथा ये कार्य विनम्रता से ही संभव हैं। 2

(iii) संसद की कराधान तथा धन के प्रयोग पर नियन्त्रण की शक्ति। 2

21. (i) विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। 2

(ii) औद्योगिक विकास, गरीबी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि (या अन्य कोई) 1

(iii) भूमण्डल का ताप बढ़ना, कृषि योग्य भूमि कम होना, जल प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन। (या अन्य कोई) 2

22. प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक तथा गणराज्य शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या। 6

अथवा

संविधान निर्माताओं ने खुले दिल से दूसरे देशों के संविधान के गुणों को संचित किया इसी कारण आलोचकों द्वारा संविधान के बारे में ऐसा कहा गया है पर वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर अनेक तत्वों का योगदान रहा है।

ब्रिटिश संविधान—शक्तिशाली लोकसभा, राष्ट्रपति मुखिया संसदीय शासन प्रणाली, एकीकृत ढाचा।

अमरीकी संविधान—मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण, संघात्मक ढांचा।

आयरलैंड, कनैडियन, जर्मन, आस्ट्रेलिया के संविधानों का प्रभाव बताते हुए छात्र भारतीय संविधान की मूल-भूत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्षत: उसे भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रस्तुत करेंगे।

23. नियुक्ति सम्बन्धी, योग्यता, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, राजनीतिक सम्बंधों, भूमिकाओं तथा परस्पर सम्बन्धों से सम्बन्धित। 6
(संक्षिप्त व्याख्या सहित)

अथवा

मन्त्रिमण्डल के नेता के रूप में—मन्त्रिपरिषद का निर्माण। विभागों का विभाजन मन्त्रिमण्डल का सभापति, मन्त्रियों का हटाना। समन्वयकारी रूप, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण कड़ी, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, संसद का नेता, नियुक्तियाँ, विदेशी नीतियों का निर्माता, संकटकालीन शक्तियाँ। (संक्षिप्त वर्णन सहित)

24. अनुच्छेद 308 में संशोधन की दो विधियों का वर्णन है। परन्तु ये तीन विधियों से होता है। 6

(i) संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति, सर्वोच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना।

(ii) संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन है दोनों सदनों में कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संभव।

(iii) संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधान पालिकाओं के अनुमोदन द्वारा संशोधन—इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, और चुनाव विधि, केन्द्र व राज्यो के वैधानिक सम्बन्ध, संघीय सरकार व राज्य सरकारों की कार्य-पालिका सम्बन्धी शक्तियों की सीमा इत्यादि। (विस्तारपूर्वक वर्णन)

अथवा

इसके कुछ भागों में सरलता, कुछ में कठिन व कुछ भागों में कठिनतम तरीके से ही बदलाव संभव है। इसी लिये ऐसा कहा गया है। छात्र इस में संशोधन विधियों की व्याख्या तथा संशोधन के विषय क्षेत्र सहित विस्तारपूर्वक लिखेंगे।

25. राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, शासन प्रबन्ध का अध्ययन, समुदायों तथा संस्थानों का राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व संगठनों तथा सम्बन्धों, नेतृत्व का, राजनीतिक दलों, सत्ता व शक्ति का अध्ययन। (संक्षिप्त किन्हीं छ: का वर्णन)

अथवा

राजनीतिक वास्तविकता को समझंने में सहायक, ज्ञान का सरलीकरण करना, व्यावहारिक दक्षताओं का विकास, समस्याएं सुलझाने में सहायक, शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करना, बुद्धि का विस्तार, राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा, सामाजिक परिवर्तन को समझने व व्याख्या के लिए सहायक। (किन्ही छ: का संक्षिप्त परिचय) 1 × 6

26. (1) नागरिक राज्य का होता है विदेशी राज्य का सदस्य नहीं 6 × 1
(2) राज्य भक्ति के आधार पर
(3) अधिकारों के आधार पर
(4) सैनिक सेवा के आधार पर
(5) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर
(6) प्रकारों के आधार पर (संक्षिप्त अर्थ व विस्तार)

अथवा

लम्बे समय तक अनुपस्थिति, विवाह, विदेश में सरकारी नौकरी, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग, पराजय द्वारा, सेना से भाग जाने पर, देशद्रोह, गोद लेना, विदेश सरकार से सम्मान प्राप्त करना, विदेश में संपत्ति खरीदना। (कोई छ: अर्थसहित)

27. स्वतन्त्रता के पश्चात भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। इसकी विशेषताएँ प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य की दृष्टि में सब धर्म समान, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार, सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही, छुआछूत की समाप्ति इत्यादि इसे सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। (उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या) 6

अथवा

(1) न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा 6
(2) नौकरी की सुरक्षा
(3) लम्बा कार्यकाल
(4) अच्छा वेतन तथा पेंशन
(5) सेवा की शर्तों में हानिकारक परिवर्तन न होना
(6) न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएँ
(7) रिटायर होने के पश्चात् वकालत की मनाही
(8) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। (कोई छ:)

सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, मार्च – 2016
मूल्यांकन योजना–राजनीति विज्ञान
अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिन्दु
59/1/1

प्र0 1. उ0	**बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ?** **a. यह पूँजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी।** **b. इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात् किया गया।** **c. लोगों द्वारा इसे 9 नवम्बर, 1989 को तोड़ दिया गया।** **d. यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।** यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।	1
प्र0 2. उ0	**आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना क्यों की गई ?** **आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना के कारण :** **(i)** आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए। **(ii)** सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। **(iii)**क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए।	1
प्र0 3. उ0	**दोनों में से अधिक अनिवार्य कौन सा है और क्यों – बड़े बाँधों का निर्माण अथवा इसका विरोध करने वाले पर्यावरण संबंधी आंदोलन ?** परीक्षार्थी दिए हुए विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में लिख सकता है – परन्तु उसके उत्तर के साथ तर्क होना चाहिए। जैसे – • विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बांधों का निर्माण आवश्यक है अथवा • बांधों का निर्माण लोगों के विस्थापन और पर्यावरण का निम्नीकरण करता है। अतः इसके विरूद्ध आंदोलन आवश्यक है।	1
प्र0 4. उ0	**गुट–निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन दो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहते थे ?** **(i)** कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा । **(ii)** क्षेत्रीय अखण्डता और एकता को बनाए रखना। **(iii)**तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। (कोई दो)	2x½=1
प्र0 5. उ0	**चिपको आंदोलन के सर्वाधिक अनूठे पहलू को उजागर कीजिए।** महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	1
प्र0 6. उ0	**शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।** **(i)** दो महाशक्तियों के नेतृत्व में दो सैन्य गुटों का होना। **(ii)** महाशक्तियां युद्ध लड़ने के खतरों अर्थात महाविनाश से परिचित थीं । अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2x1=2

प्र0 7.	**"स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे; वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?**	
उ0	परीक्षार्थी को उत्तर के पक्ष में तर्क / तथ्य / उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण के लिए : स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने राजनीति को चुना और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए सत्ता में आने का प्रयास किया। अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2
प्र0 8.	**निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए :** **'A'** — **'B'** **(a)राजनीति से प्रेरित विवादास्पद नियुक्ति** — **(i) चारू मजूमदार** **(b)1947 में रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व किया** — **(ii) जय प्रकाश नारायण** **(c)नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होन से इंकार** — **(iii) जार्ज फर्नांडिस** **(d)पुलिस हिरासत में मौत** — **(iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे.**	
उ0	(a) (iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे. (b) (iii) जार्ज फर्नांडिस (c) (ii) जय प्रकाश नारायण (d) (i) चारू मजूमदार	4x½=2
प्र0 9.	**हालांकि 1950 के दशक में, देश के शेष हिस्सों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी ?**	
उ0	'पंजाबी सूबा' आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था और इस आंदोलन को गैर सिक्खों और सिक्खों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलनों जैसा मजबूत नहीं था।	2
प्र0 10.	**पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया ?**	
उ0	उत्तर–पूर्व राज्यों का पुनर्गठन लगभग 1972 में पूरा हो गया था, जैसे 1972 में आसाम में से एक क्षेत्र ले कर मेघालय बनाया गया। मणिपुर और त्रिपूरा भी इसी वर्ष अलग राज्य के रूप में उभरे। परन्तु अरूणाचल प्रदेश 1987 में बना जबकि नागालैण्ड 1963 में ही बन गया था।	2
प्र0 11.	**चीन की नई आर्थिक नीति ने किन चार तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया ?**	
उ0	**(i)** जड़ता को समाप्त करके **(ii)** कृषि के निजीकरण से **(iii)**व्यापार के नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा **(iv)**ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ने की तीव्र वृद्धि दर से	4x1=4

प्र0 12.	**एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ? इसके मुख्य कार्य लिखिए।**	
उ0	• **एमनेस्टी इंटरनेशनल** एक गैर सरकारी स्वंयसेवी संगठन है। • कार्य : **(i)** यह मानवाधिकारों से जुड़ी रिर्पोट तैयार और प्रकाशित करता है। **(ii)** यह सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करता है। **(iii)**यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। **(iv)** अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु।	1+3=4
प्र0 13.	**'वैश्विक संपदा से क्या अभिप्राय है ? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है ?**	
उ0	• विश्व की सांझी सम्पदा उन संसाधनों को कहते है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह ओर बाहरी अंतरिक्ष। • ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि : **(i)** एक सर्व–सम्मत र्प्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। **(ii)** बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबन्धन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। **(iii)**बाहरी अंतरिक्ष में हो रहे दोहन कार्यों का लाभ न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। (कोई दो कारण)	2+2=4
प्र0 14.	**भारत की काँग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एकदलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न है ? स्पष्ट कीजिए।**	
उ0	**यह निम्नलिखित कारणों से भिन्न है :** **(i)** भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम नहीं हुआ है। **(ii)** भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थी जबकि चीन और रूस जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व एकल पार्टी व्यवस्था के कारण था। **(iii)**भारत में म्यांमार और बेलारूस की तरह एक पार्टी का प्रभुत्व सैन्य दखलान्दजी के कारण नहीं था। **(iv)**भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व उसकी अपनी लोकप्रियता के कारण था।	4
प्र0 15.	**भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।**	
उ0	**भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणाम :** **(i)** कृषि, व्यापार और उद्योगों का अधिकांश भाग निजी हाथों में छोड़ दिया गया। **(ii)** राज्य द्वारा नियंत्रित मुख्य भारी उद्योगों ने औद्योगिक ढ़ांचे, नियमित व्यापार और कृषि में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किया।	

	इससे निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई और इसने भावी विकास को आधार किया।	4
प्र0 16.	**1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया ? व्याख्या कीजिए।**	
उ0	**जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों को निम्नलिखित ढंग से जनमत संग्रह में बदला :** **(i)** सभी विरोधी दलों ने कांग्रेस के विरूद्ध आपस में हाथ मिलाकर जनता के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा। **(ii)** जनता पार्टी ने लोकतंत्र की वकालत की तथा आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। **(iii)** जयप्रकाश नारायण विपक्ष का चेहरा बन गया और जे. पी. एंव इन्दिरा के बीच एक को चुनने का विकल्प बन गया। **(iv)** जनता पार्टी ने लोगों को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच किसी एक को चुनने का आह्वान किया।	4
प्र0 17.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:–** हर देश को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि इस दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। 'शॉक थेरेपी' की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढाँचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। 'सामूहिक फार्म' को 'निजी फार्म' में बदला गया और पूँजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या 'तीसरे रूख़' को मंजूर नहीं किया गया। **i. ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जिन्हें अपनी व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन लाना था।** **ii. सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में क्यों बदला जाना था ?** **iii. क्योंकि किसी तीसरे रास्ते की कोई सम्भावना नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पहले दो रास्ते कौन से थे ?**	
उ0	**(i)** आर्मीनिया, जार्जिया, उज़्बेकिस्तान अथवा सोवियत संघ के विघटन के बाद बना कोई अन्य देश। (कोई दो देश) **(ii)** राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था की समाप्ति एंव निजीकरण और उदारीकरण के लागू होने के कारण। **(iii)** a) राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था (समाजवाद) b) पूंजीवाद	1+2+2=5
प्र0 18.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:** सबसे सीधा–सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछेक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक–कल्याणकारी	

	कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक–कल्याण होता था। लोक–कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाज़ार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। **i. 'राज्य की क्षमता में कमी आना' एक उदाहरण द्वारा इन शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।** **ii. 'कल्याणकारी राज्य' की धारणा का स्थान 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' क्यों ले रहा है ?** **iii. बाज़ार किस प्रकार सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है ?**	
उ0	**(i)** वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानि सरकारों को जो काम करना है, उसे करने की ताकत में कमी आती है। आजकल विभिन्न देशों की सरकारों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। **(ii)** निजीकरण के कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में आ गई हैं। राज्यों की भूमिका आर्थिक विकास में सहायता करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। **(iii)** बहुराष्ट्रीय कंपनियां आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में आ गई हैं। उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजारों की तलाश है। अतः अब बाजार सामाजिक प्राथमिकताओं के निर्धारक बन गए हैं।	2+2+1=5
प्र0 19.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:** भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब–इज़रायल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। **i. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और क्यों ?** **ii. भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, उस काल को भारत की घरेलू राजनीति का, सबसे कठिन काल क्यों समझा जाता है ?** **iii. 1970 के दशक के प्रारंभ में घटित किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में मँहगाई बहुत बढ़ गयी थी ?**	
उ0	**(i) मई 1974 में –** आणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, प्रयोग करने के लिए। **(ii)** अरब – इज़रायल युद्ध के कारण कीमतें बढ़ रही थीं। अतः भारत आर्थिक मोर्चे पर संकटों का मुकाबला कर रहा था। **(iii)** 1973 का अरब – इज़रायल युद्ध।	2+2+1=5
प्र0 20.	**नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**	

	i. दिए गए कार्टून से किन्हीं चार राष्ट्रीय नेताओं की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक की क्रम संख्या भी लिखिए। ii. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेता न. 2 के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या था ? iii. 1989 के लोकसभा निर्वाचन में, क्रम संख्या एक के नेतृत्व वाले दल की स्थिति क्या थी ?	
उ0	i. 1 राजीव गांधी 2 वी. पी. सिंह 3 लाल कृष्ण आडवानी 4 देवी लाल 5 ज्योति बसु 6 चन्द्र शेखर 7 एन. टी. रामा राव 8 पी. के. मोहन्तो 9 के. करूणानिधि (कोई चार) ii. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। iii. 1989 में पार्टी बुरी तरह प्रभावित हुई तथा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। (415, सांसदों से घट कर 189 पर पहुँच गइ थी) **नोटः– निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 20 के स्थान पर हैं।** **20.1 1984 के लोकसभा निर्वाचन में किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीतीं और किसके नेतृत्व में ?** **20.2 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने कौन सा सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय लिया ?** **20.3 किस प्रधानमंत्री ने नए आर्थिक सुधारों की शुरूआत की तथा इसका क्या परिणाम निकला ?**	2+1+2=5
उ0	**20.1** (i) कांग्रेस पार्टी (ii) राजीव गांधी के नेतृत्व में **20.2** 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। **20.3** नए आर्थिक सुधार राजीव गांधी द्वारा लागू किए गए। इसने आर्थिक नीति की दिशा को यकायक बदल दिया।	2+1+2=5
प्र0 21.	**दिए गए दक्षिण एशिया के रेखा–मानचित्र में, पाँच देशों को A, B , C , D तथा E द्वारा चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और उत्तरपुस्तिका में उनके सही कम संख्या तथा संबंधित अक्षर, नीचे दी गई तालिका के रूप में लिखिए।**	

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम
(i) से (v) तक		

i. एक महत्त्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण ऐशिया का भाग नहीं समझा जाता।
ii. इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है।

iii. इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के शासक रहे हैं।
iv. वह देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है।
v. एक द्वीपीय राष्ट्र जो 1968 तक एक सल्तनत था।

उ0

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम
(i)	B	चीन
(ii)	D	श्रीलंका
(iii)	E	बांग्लादेश
(iv)	A	नेपाल
(v)	C	मालदीव

5x1=5

नोटः– निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 21 के स्थान पर है।

21.1 दक्षिण एशिया में प्रायः कौन–कौन से देश शामिल किए जाते हैं ?

21.2 दक्षिण एशिया के कौन से दो देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है।

21.3 दक्षेस (SAARC) तथा साफ्टा (SAFTA) के विस्तृत रूप लिखिए।

उ0 **21.1** बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान

नोटः यदि परीक्षार्थी अफगानिस्तान नहीं लिखता है तब भी उसे अंक दिए जाएं।

21.2 श्रीलंका और भारत

21.3 **दक्षेस (SAARC)** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारी संगठन

साफ्टा (SAFTA) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार–क्षेत्र समझौता

2+1+2=5

प्र0 22. **सोवियत संघ व्यवस्था की किन्हीं तीन सकारात्मक तथा तीन नकारात्मक विषेषताओं को उजागर कीजिए।**

उ0 <u>**सकारात्मक विशेषताएं :**</u>

(i) सोवियत व्यवस्था अमेरीका को छोड़कर शेष पूरे विश्व से कहीं अधिक विकसित थी।

(ii) सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था।

(iii) सरकार द्वारा बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाना।

(iv) बेरोजगारी का न होना।

अन्य कोई सकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं)

<u>**नकारात्मक विशेषताएं :**</u>

(i) व्यवस्था सत्तावादी थी और नौकरशाही का कड़ा शिकंजा था।

(ii) लोकतंत्र की कमी और अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का न होना।

(iii) केवल एक दलीय व्यवस्था का होना।

(iv) पार्टी द्वारा लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अवहेलना।

अन्य कोई नकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं) 3+3=6

	अथवा **यह कहना कहाँ तक उचित है कि शीत युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों की लाभ हानि के गणित से होता था ? व्याख्या कीजिए।**	
उ0	यह कथन महाशक्तियों तथा उनके गठबंधन के बारे में बिल्कुल ठीक है। **(i)** महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके देशों को अपने पक्ष में किया। **(ii)** सोवियत संघ ने अपने गुट (गठबंधन) के देशों की बड़ी सेनाओं के बल पर पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का प्रयोग किया। **(iii)** दूसरी ओर अमरीका ने सीटो और सेन्टो जैसे गठबंधन बनाए तथा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ सोवियत संघ और चीन ने अपने संबंध मजबूत किए। **(iv)** महत्त्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाए गए। **(v)** महाशक्तियों को अपने हथियारों के संचालन के लिए भू–क्षेत्रों की आवश्यकता थी। **(vi)** आर्थिक मदद एक अन्य मुद्दा था। उत्तर के पक्ष में अन्य कोई बिन्दु	6x1=6
प्र0 23.	**संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिए। इसके बारे में, भारत के अंदर तीन विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिए।**	
उ0	**(i)** भारत को अमरीका से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और उसे अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। **(ii)** भारत को अमरीकी वर्चस्व और आपसी समझ का यथा संभव अपने हित में लाभ उठाना चाहिए। अमरीका का विरोध करना व्यर्थ होगा और अंततः भारत को क्षति पहुंचेगी। **(iii)** भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बनाने में नेतृत्व देना चाहिए। अन्य कोई दृष्टिकोण (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
	अथवा **ऐसे किन्हीं तीन प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल कर, एक राजनैतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी हैं।**	
उ0	**(i)** 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। **(ii)** 1957 में यूरोपीय इकनामिक कम्युनिटी के गठन से राजनीतिक चर्चा शुरू हुई जिससे यूरोपीय पार्लियामेण्ट का गठन हुआ। **(iii)** सोवियत संगठन के विघटन ने यूरोप में इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान की और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हुई। **(iv)** इसने अपना झंडा, स्थापना दिवस, गान और अलग मुद्रा को अपनाया। **(v)** विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका अपना राजनीतिक प्रभाव भी है। (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
प्र0 24.	**ऐसे किन्हीं तीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर कार्य करें।**	

उ0	**अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मुद्दे :** **(i)** आतंकवाद **(ii)** ग्लोबल वार्मिंग / पर्यावरणीय निम्नीकरण **(iii)** पीने के पानी की कमी **(iv)** वैश्विक गरीबी **(v)** संक्रामक रोग अन्य कोई सही मुद्दा (कोई तीन का वर्णन)	3x2=6
	अथवा **बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है ? इस प्राकर की सुरक्षा के किन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन कीजिए।**	
उ0	• **बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा :** किसी देश को सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा माना जाता है। • **बाह्य सुरक्षा के तत्व :** **(i)** बाहरी आक्रमण के विरूद्ध अपनी रक्षा करना अथवा उसे रोकना। **(ii)** युद्ध को टालना। **(iii)** शक्ति संतुलन / गठबंधन बनाना (कोई दो व्याख्या सहित)	2+4=6
प्र0 25.	**"क्षेत्रीय माँगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना, एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया।" इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कोई तीन उपयुक्त तर्क दीजिए।**	
उ0	**कथन के समर्थन में तर्क :** **(i)** 60 वर्षों में भाषायी आधार पर बनने वाले राज्यों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को सकारात्मक और रचनात्मक बना दिया है। **(ii)** भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भाषा सभी के लिए एक समान आधार बन गई है। **(iii)** इससे देश का विघटन के बजाय एकीकरण हुआ है। **(iv)** लोगों की क्षेत्रीय अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, लोगों को ताकत मिली है और लोकतंत्र सफल हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्थान दिया जा रहा है। (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
	अथवा **स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्रों का परिक्षण कीजिए।**	
उ0	**सहमति के क्षेत्र :** **(i)** भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि एंव सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए।	

	(ii) विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता अपितु सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। (iii) गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी माना गया। असहमति के क्षेत्र : (i) सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति। (ii) यदि आर्थिक वृद्धि से भिन्नता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्त्व पर असहमति। (iii) उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे पर असहमति।	3+3=6
प्र0 26.	**लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात्, इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली किन्हीं चार उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।**	
उ0	• **इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियां :** (i) इंदिरा गांधी लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। (ii) वह 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थी। (iii) वह 1964–66 में शास्त्री जी के मंत्रीमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थीं। (कोई दो बिंदु) • **इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली उपलब्धियां :** (i) उसने 'गरीबी हटाओ' का लोकप्रिय नारा दिया था। (ii) उसने सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि पर ध्यान दिया। (iii) उसने ग्रामीण भूमि की तथा शहरी सम्पति की हदबन्दी की जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके। (iv) उसने रज़वाड़ों को दी जाने वाली सुविधाएं कम कीं। (v) 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक जीत। (vi) 1974 में पहला आणविक विस्फोट। (कोई चार बिंदु)	2+4=6
	अथवा **25 जून, 1975 को भारत में आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए।**	
उ0	**आपातकाल लागू करने की परिस्थितियाँ :** (i) न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संघर्ष। (ii) वृद्धि दर में कमी और कीमतों का बढ़ना। (iii) बिहार और गुजरात में मंहगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र आंदोलन। (iv) जॉर्ज फर्नाडीज़ के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल। (v) रामलीला मैदान की विशाल रैली जहां जयप्रकाश नारायण ने कर्मचारियों से सरकार के अवैध आदेश न मानने का आग्रह किया। (vi) इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने का निर्णय।	6

प्र0 27.	**भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जाने वाले किसान आंदोलन को, सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बनाने वाले किन्हीं छः कारकों का वर्णन कीजिए।**	
उ0	**i.** भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चला यह आंदोलन बहुत ही अनुशासित था। **ii.** भारतीय किसान यूनियन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए 'जाति पंचायत' की परम्परागत संस्था का उपयोग किया। **iii.** धनराशि एंव संसाधन जुटाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने इसी जातिगत–वंशगत सम्पर्क जाल का प्रयोग किया। **iv.** भारतीय किसान यूनियन की मांगे किसानों की चिर प्रतीक्षित मांगे थीं और उनके हित में थीं। इसलिए किसानों द्वारा तुरन्त स्वीकार कर ली गईं। **v.** भारतीय किसान यूनियन ने स्वंय को अराजनीतिक रखा और एक दबाव समूह के रूप में काम किया। **vi.** भारतीय किसान यूनियन ने दबाव की नीति प्रयोग की और किसानों की शक्ति का प्रदर्शन किया। अन्य कोई उपयुक्त बिंदु	6x1=6
	अथवा	
	क्षेत्रीय आकांक्षाएँ तथा उनकी पूर्ति लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। इस विचार से मिलने वाली किन्हीं तीन शिक्षाओं का वर्णन कीजिए।	
उ0	**i.** क्षेत्रीय आकाक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं और क्षेत्रीय आकाक्षाओं को अभिव्यक्त करना सामान्य है। **ii.** क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं और संवाद सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं। **iii.** क्षेत्रीय मुद्दों को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संवैधानिक ढ़ांचे में ही हल किया जा सकता है। **iv.** क्षेत्रीय संतुलन और आर्थिक विकास से भेदभाव की भावना में कमी आती है। अतः क्षेत्रों के पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के प्रयास होने चाहिए। **v.** संवैधानिक प्रावधानों में ही क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के प्रावधान पहले से ही निहित हैं। संविधान की छटी अनुसूची विभिन्न कबीलों (जन जातियों) को अपनी प्रथाओं और पारम्परिक कानूनों को संरक्षित रखने की अनुमति देती है। **vi.** संघवाद का सही अर्थों में सम्मान होना चाहिए। अन्य कोई उपयुक्त शिक्षा (कोई तीन बिंदु)	3x2=6

पाठ-1

राजनीतिक-सिद्धान्त-एक परिचय

मनुष्य और समाज के निर्माण में कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाओं विचार धाराओं और विषयों में केवल राजनीति ही सम्पूर्ण समुदाय से सरोकार रखती है। राजनीति को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है परन्तु राजनीति के दो ही पक्ष हैं पहला सैद्धान्तिक राजनीति और दूसरा व्यवहारिक राजनीति। राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष की जड़े मानवीय अस्मिता से जुड़ी हुई हैं। जब कोई विद्वान विचारक किसी विशिष्ट विषय पर सुविचारित सम्पूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तो उसे सिद्धान्त कहा जाता है और यदि यह राजनीति से सम्बन्धित है तो राजनीतिक सिद्धान्त कहलाता है।

राजनीतिक सिद्धान्त निम्न विषयों पर चिन्तन करता है। समाज का संगठन कैसा हो? हम सरकार का निर्माण क्यों करते है। सरकार का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? क्या कानून हमारी स्वतन्त्रता को बाधित करता है। तथा राजसत्ता की नागरिकों के प्रति और नागरिक के रूप में हमारी एक दूसरे के प्रति क्या देनदारी होती है? यह स्वतन्त्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका और नौकरशाही जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को परिमार्जित करता है।

अधिगम परिणाम

इस अध्याय में हम–

1. राजनीतिक सिद्धान्त को समझ सकेंगे।
2. राजनीति क्या है? यह जानने का प्रयास करेगें।
3. सैद्धान्तिक और व्यवहारिक राजनीति को समझने का प्रयास करेगें।
4. राजनीतिक सिद्धान्तों को व्यवहार में कैसे उतारा जायेगा यह भी समझेगें।
5. हमें राजनीतिक सिद्धान्त पढने की आवश्यकता क्या है?

राजनीतिक सिद्धान्त क्या है?

राजनीतिक सिद्धान्त को जानने के लिए उसके वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों पक्षों को समझना होगा। प्रत्येक राजनीतिक चिन्तक में वैज्ञानिकता और दार्शनिकता से सम्बन्धित दोनों क्षमताएँ होती है। यह क्षमताएँ कम या अधिक मात्रा में हो सकती है इसी के आधार पर वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धान्तों का निर्माण होता है।

राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों में तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों से अप्रसन्नता होती है। अपने सिद्धान्तों के निर्माण के लिए वह इन परिस्थितियों को तथात्मक और विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं जैसे प्लेटों, मैक्यावली, हॉब्स, कार्लमार्क्स, महात्मागाँधी आदि द्वारा किया गया था।

ये चिन्तक वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग का अधिक से अधिक प्रयास करते है किन्तु साथ-साथ अपने प्राचीन आदर्शों और मूल्यों की स्थापना का भी पूरा ध्यान रखते हैं।

अत: राजनैतिक सिद्धान्त के निर्माण में वैज्ञानिक तथ्यों, मूल्यों आदर्शों, तत्कालीन परिस्थितियों तथा भविष्य के लक्ष्यों सभी का समन्वय होता है।

राजनीति क्या है?

सामान्यत: राजनीति के बारे में लोग अलग-अलग धारणाएँ रखने लगे हैं। कोई इसे छल कपट और दॉव पेच से जोड़ता है। चुनाव लड़ते समय इसे जन सेवा के रूप में घोषित किया जाता है। कुछ कहते हैं कि राजनीति तो राजनेताओं के उस व्यवहार से झलकती है। जिसमें वे झूठेवादे करने, दलबदल करने, घोटाले करने, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आन्दोलन, हिंसा, धार्मिक भावनाओं को भड़काना जैसे निम्न उपायों का भी प्रयोग करते हैं। अपने उच्चाधिकारी को अपने पक्ष में करने के लिए चापलूसी करना दो पक्षों में हुए विवाद में पंच बन कर अप्रत्यक्ष रूप से उसे बढाने पर लोग कहते है कि यह राजनीति कर रहा है।

इन सभी कारणों से लोगों में राजनीति के प्रति एक घृणात्मक स्थिति पैदा हो गयी है और वर्तमान पीढ़ी मे रजनेता बनने में रूचि न के बराबर दिखायी देती है।

राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी है। जिसमें राजनीति को मनुष्यता का पर्याप्त ही माना गया है तथा इसी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया गया है महान विद्धान अरस्तु के अनुसार ''मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता वह देवता है या पशु'' महात्मा गाँधी जो द्वारा भी कहा गया कि ''राजनीति ने हमें साँप की कुण्डली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नही है।''

कौटिल्य ने राजनीति तथा राज्य के अभाव में मत्स्य शासन की बात की और कहा कि इसके अभाव में शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण और जंगलराज का बोलवाला होगा।

शुक्राचार्य ने राज्य को एक वृक्ष की तरह चित्रित किया जिसकी चार शाखाएँ साम, दाम, दण्ड और भेद है जिन पर चार फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लगते हैं। इसी कारण राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान (Supreme Science) कहा हैं। क्योंकि राजनीति व्यक्ति के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस कारण आज प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में अवश्य रूचि रखने लगा है। चाय और पान की दुकान पर बैठे व्यक्ति हो या राह चलते लोग या समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टी.वी. के न्यूज चैनल सब की मुख्य सुर्खियाँ राजनीति के विषयों से ही सम्बन्धित होती हैं।

आज लोकतांत्रिक सरकारों में जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर आपस में वार्ता करके उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गयी होती है। तभी हम कह सकते हैं कि जनता राजनीति में संलग्न है।

राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या अध्ययन करते हैं?

अनेक मूल्य और सिद्धान्त हैं जिन्होंने जनता को आन्दोलन और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही सिद्धान्त है। अनेक देशों जैसे भारत और अमेरिका ने अपने संविधानों में इन मूल्यों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष स्थान दिया है।

अनेक देशों में संविधान लिखे गए और संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ इनके पीछे अनेक विद्वानों के विचारों और सिद्धान्तों का ही योगदान है। जिसमें प्लेटों, अरस्तु, कौटिल्य, मैक्यावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, होगल, कार्लमार्क्स, महात्मागाँधी, डा.भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान प्रमुख हैं।

प्लेटों का दार्शनिक राजा का सिद्धान्त, अरस्तु का आदर्श राज्य का सिद्धान्त, रूसों का स्वतंत्रता का अधिकार, कार्लमार्क्स का आर्थिक समानता का सिद्धान्त, गाँधी जी का स्वराज का सिद्धान्त, डा. अम्बेडकर के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष संरक्षण के सिद्धान्त प्रमुख हैं। इन्हीं के आधार पर भारतीय संविधान में भी अनेक प्रावधान जोड़े गए।

इस प्रकार राजनीतिक सिद्धान्त उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप में प्रतिबिम्बित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है।

संविधान में स्थापित इन सभी सिद्धान्तों की स्थापना के पश्चात भी अनेक ऐसे अनसुलझे मुद्दे है जिनको स्थापित किया जाना बाकी है। जिनमें स्वतन्त्रता, समानता और न्याय के मुद्दे ऐसे ही हैं। जिनकी अनेक प्रकार से की गयी व्याख्याओं के बाद भी अनेक समाधान बाकी है जैसे इन्टरनेट का प्रयोग करने वालो को जिन्हे नेटिजन कहा जाता है। उन्हें कितनी स्वतन्त्रता दी जाए इसका समाधान बाकी है, क्योंकि आज अनेक असामाजिक तत्व इसका दुरूपयोग कर रहे हैं।

संक्षेप में राजनीतिक सिद्धान्तों में हम निम्नलिखित विषयों का भी अध्ययन करते हैं–

1. राज्य व शासन का अध्ययन
2. सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन
3. बहुलवादी समाज का अध्ययन
4. मानव व्यवहार का अध्ययन
5. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों व भूमण्डलीकरण का अध्ययन
6. आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन
7. नारीवाद और उपेक्षित वर्ग का अध्ययन
8. विकास, राष्ट्रनिर्माण और पर्यावरण में हो रहे बदलावों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन

राजनीतिक सिद्धान्तों को व्यवहार में कैसे उतारा जाए–

राजनीतिक सिद्धान्तों द्वारा प्रस्तुत अवधारणाएँ तथा परिभाषाएँ गणित की तरह नहीं होती जैसे गणित में चतुर्भुज, वर्ग, त्रिभुज आदि की सिर्फ एक-एक परिभाषा होती है। किन्तु समानता, स्वतन्त्रता, न्याय जैसी राजनीतिक अवधारणाओं की अलग-अलग विद्वानों की अलग परिभाषाएँ हो सकती है। इसी से यह प्रश्न उठता है कि इन सिद्धान्तों को व्यवहार में कैसे उतारा जाए। क्योंकि सैद्धान्तिक रजनीति और व्यवहारिक राजनीति में काफी अन्तर दिखायी देता है। प्लेटों द्वारा दिया गया दार्शनिक राजा का सिद्धान्त व्यवहारिक धरातल पर आज तक नही उतर पाया है।

इसी प्रकार हम समानता जैसी अवधारणा के व्यवहारिक और सैद्धान्तिक रूप का परीक्षण कर सकते है। लोग अक्सर समानता की बात करते रहते हैं। किन्तु असमानता के विविधकारण हो सकते हैं। कुछ लोगों की न्यूनतम

आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती तो वे सर्वसाधन सम्पन्न लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? यदि अवसर की समानता प्रदान भी कर दी जाए तो कुछ लोग ऐसे है जिनके पास उन अवसरों तक पहुचने की क्षमता भी नहीं हैं। हम अक्सर देखते है कि बहुत से बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते है क्योंकि अत्यधिक निर्धनता के कारण वे अपना पेट भी नहीं भर पाते और कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। अनेक बालिकाओं को विद्यालय से इसलिए दूर रहना पड़ता है कि वे छोटे भाई बहनों के लालन पालन में सहयोग कर सके। सैद्धान्तिक रूप से भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारण्टी प्रदान की गयी है किन्तु व्यवहारिकता में आज भी अनेक बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं किन्तु फिर भी आज सरकार द्वारा बच्चों को मध्यान्ह भोजन निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस तथा वजीफा आदि प्रदान करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को व्यवहारिकता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा हैं राज्य और शासन के स्तर पर व्यवहारिक और सैद्धान्तिक राजनीति को इस प्रकार समझ सकते हैं।

राजनीति

सैद्धान्तिक राजनीति	व्यवहारिक राजनीति या क्रियात्मक राजनीति
(1) राज्य का सिद्धान्त शासन की उत्पत्ति (क) ऐतिहासिक (ख) सामाजिक समझौता शासन के रूपों का वर्गीकरण राजनीतिक सम्प्रभुत्ता	(1) राज्य शासन के वर्तमान स्वरूप संघीय राज्य, एंव परिसंघ स्वाधीन, संरक्षित प्रदेश
(2) शासन के सिद्धान्त संस्थाओं के रूप प्रतिनिधि एव मंत्रिमंडल शासन सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रों की सम्पदा	(2) शासन संवैधानिक कानून एवं प्रथाएँ संसदीय प्रणाली मन्त्रियों का उत्तरदायित्व राज्य का अहस्तक्षेप
(3) विधायन का सिद्धान्त, विधायन के लक्ष्य कानून का चरित्र एवं वर्गीकरण विधि निर्माण की शैलियाँ	(3) कानून निर्माण प्रक्रिया संसदीय प्रारूपण न्यायिक प्रणाली और उसका तंत्र विधि शास्त्र
(4) अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्य का अन्य राज्यों एवं व्यक्तियों से सम्बन्ध	(4) राज्य का मानवीयकरण अन्तर्राष्ट्रीय समझौते विशेषकर, न्याय, वाणिज्य, संचार आदि को बढ़ाने के लिए

राजनीतिक सिद्धान्त को पढ़ने की आवश्यकता

(1) **विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में सहायक**–नीति निर्माता, अध्यापक, वकील, जज, पत्रकार आदि के कैरियर को चुनने में राजनीतिक सिद्धान्त का अध्ययन अत्यधिक सहायक हो सकता है।

(2) अधिकार सम्पन्न और जागरूक नगरिक बनने के लिए

(3) राजनेताओं को जनाभिमुख बनाने के लिए

(4) हमारे विचार और भावनाओं को उदार बनाने के लिए

(5) न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार जैसी अवधारणाओं के बारे में सुव्यवस्थित सोच विकसित करने के लिए।

(6) राजनीतिक संरचनाओं को वैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए

(7) विभिन्न आन्दोलनों को प्रेरणा प्रदान करने में सहायक

(8) तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ऐतिहासिक समझ को स्पष्टता और सरलता प्रदान करने के लिए

(9) सार्वभौम शक्ति के लिए मानसिकता तैयार करना

(10) भविष्य की योजना बनाने के लिए विचारधाराओं को पुष्ट करना।

प्रमुख सिद्धान्त

राज्य की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास

(1) देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त

(2) परिवार सिद्धान्त

(3) शक्ति का सिद्धान्त

(4) सामाजिक समझौते का सिद्धान्त

(5) सामान्य इच्छा का सिद्धान्त

(6) मार्क्सवादी सिद्धान्त

(7) विकासवादी सिद्धान्त

(8) ऐतिहासिक विकास का सिद्धान्त

(9) राज्य की प्रकृति और कार्य का सिद्धान्त उदारवादी सिद्धान्त

पाठ्यगत अवधारणाएँ

(1) नेटिजन– अंग्रेजी में इण्टरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है।

(2) सिद्धान्त– सिद्धान्त अंग्रेजी शब्द Theory का हिन्दी रूपान्तरण है जो ग्रीक शब्द थ्योरिया (Theoria) थ्योरमा (Theorema) नामक शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ है। भावनात्मक सोचविचार एक ऐसी दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती हैं।

(3) राजनीति– राजनीति अंग्रेजी के 'Politics' का हिन्दी रूपान्तरण हैं जो ग्रीक भाषा के पोलिस (नगर राज्य) 'पॉलिटि' (शासन) तथा पॉलिटिया (संविधान) से हुई है इसके अनुसार राजनीति नगर राज्य तथा उसके प्रशासन का व्यावहारिक एवं दार्शनिक धरातल पर अध्ययन हैं।

प्रस्तावित क्रियाकलाप

(1) विद्यार्थी राजनीति के विभिन्न सिद्धान्तों की एक सारणी बनाएगें उनमें प्रस्तावित विचारधाराओं को उनके समक्ष लिखकर कक्षा में उस पर वाद विवाद का आयोजन करेगें।

(2) विद्यार्थियों द्वारा ऐसे राजनीतिक सिद्धान्तों को एकत्रित किया जाएगा जो आज व्यवहारिक रूप धारण कर चुके है। कक्षा को छोटे-छोटे ग्रुपों में बाँटकर एक-एक सिद्धान्त को विस्तार से व्यावस्थित करने को कहा जा सकता है।

(3) भारतीय संविधान में प्रयुक्त किए गए किन्ही पाँच राजनीतिक सिद्धान्तों को इकट्ठा किया जा सकता है।

अपेक्षित प्रश्न

एक अंकीय प्रश्न (अति लघु उत्तरीय)

(1) राजनीति के कोई दो सिद्धान्तों के नाम लिखिए।

(2) राजनीति की परिभाषित कीजिए।

(3) सिद्धान्त शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है?

दो अंकिय प्रश्न (लघु उत्तरीय)

(1) किन्ही चार प्रतिष्ठित राजनीतिक सिद्धान्तकारों के नाम लिखिए?

(2) राजनीतिक सिद्धान्तों द्वारा उत्पन्न किन्ही दो मूल्यों को लिखिए?

चार अंकिय प्रश्न (दीर्घ उत्तरीय)

(1) राजनीति क्या है? किन्ही दो विद्वानों द्वारा दी गयी विचार धारा को विस्तार से लिखिए।

(2) राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन करने के दो उद्देश्य लिखिए।

छः अंकिय प्रश्न (अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

(1) राजनीति उस सबसे बढकर है जो राजनेता करते है यदि आप इस कथन से सहमत है तो विस्तार पूर्वक लिखिए।

संवर्धित मूल्य

(1) राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थियों में राजनीति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और वे जान सकेगें कि राजनीति छल कपट का नाम नहीं है अपितु मानव कल्याण का एक साधन है।

(2) इन सिद्धान्तों के अध्ययन से व्यवहारिक और सैद्धान्तिक राजनीति के अन्तर को समझकर सिद्धान्तों द्वारा स्थापित मूल्यों को व्यवहार में लाकर राजनीति को स्वच्छ और सर्वोच्च विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकेगें।

पाठ-2

अधिकार

परिचय

हम सबने वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार के बारे में आमतौर पर सुना है। हमारा अनेक अन्य वस्तुओं पर अधिकार इस लिए होता हैं क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी मेहनत से कमाया अथवा प्राप्त किया होता है। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में कोई हमारी पुस्तक ले ले तो हम दावा करते हैं कि वह पुस्तक हमारी है और कोई भी तीसरा व्यक्ति उस दावे को सही पाने पर 'पुस्तक' पर हमारे अधिकार को स्वीकार करेगा। अधिकार हम से जुड़े होते हैं और व्यक्ति की प्रगति एवं विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं।

यदि हम अधिकार शब्द को परिभाषित करना चाहें तो उपरोक्त सन्दर्भ से एक परिभाषा उभर कर आती हैं कि "उचित और वैध दावों को अधिकार कहा जाता है।" जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस परिभाषा के आधार हम समझ सकते हैं कि समाज और सरकार ने भी हमें अनेक अधिकार दिए हैं जिन के छिन जाने पर अथवा प्राप्त न होने पर हम 'दावा' कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे अधिकारों के बारे में जानेंगे जो हमें संविधान और सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं– जिनकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। यहाँ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अधिकारों की आवश्यकता सबको होती है अर्थात बच्चे, जवान और बूढ़ों, स्त्री और पुरूष तथा जानवरों को भी। आइये हम अपने कुछ अधिकारों के बारे में विस्तार से जानें–

अधिगम परिणाम

इस अध्याय के अध्ययन के बाद विद्यार्थी–

(i) लोकतन्त्र में अधिकारों का महत्व समझ सकेंगे

(ii) अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे

(iii) अधिकारों और कर्त्तव्यों के बीच सम्बन्ध को समझ सकेंगे

(iv) अपने अधिकारों के सदुपयोग के लिए सर्तक रहेंगे तथा अधिकारों के उल्लंघन पर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हो सकेंगे

विषय वस्तु

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन काल के इतिहास को सुनने और पढ़ने पर ज्ञात होता है कि उस समय भारतीयों को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया जिससे नागरिकों का अनेक कठिनाईयों, मुसीबतों और अपमान का सामना करना पड़ा। अतः स्वतंत्रता के साथ ही संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए उन सब अधिकारों

का प्रावधान किया जिसकी कमी हम ब्रिटिश शासन काल में अनुभव करते थे। सम्मान और गरिमा से जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है।

अधिकारों की आवश्यकता

किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए अनेक चीजों और स्थितियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जीने के लिए वायु और जल अत्यावश्यक है अतः इन पर हमारा अधिकार होना ही चाहिए अन्यथा जीवन नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार अपने जीवन में उन्नति और विकास के लिए सबको शिक्षा की आवश्यकता है और यदि शिक्षा प्राप्त न हो अथवा इस पर अधिकार न हो तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। बड़ा होने पर सबको रोजगार और काम चाहिए जिससे आजीविका पर हमारा अधिकार अनिवार्य सिद्ध होता है। यदि रोजगार पर अधिकार नहीं होगा तो जीवन में संकट होंगे। अभिप्राय यह है कि अधिकारों की आवश्यकता इसलिए कि वह प्रत्येक के जीवन को आत्म सम्मान और गरिमा से जीने का साधन बनते है। अधिकारों से समाज में जीवन व्यवस्थित रहता है और प्रत्येक को अपनी सीमा का ज्ञान रहता है।

अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं?

जॉन लॉक, रूसों जैसे अनेक राजनीतिक विचारकों का मत है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रकृति ने प्रदान किए हैं अर्थात् व्यक्ति अधिकारों के साथ जन्म लेता है। जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अपनी सम्पति पर अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। अन्य सभी अधिकार इन्हीं अधिकारों से पैदा हुए हैं। इस विचार से स्पष्ट है कि कोई शासक अथवा शासन व्यवस्था यदि इन अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है तो वह प्रकृति के नियमों का अल्लंघन करती है तब उसका विरोध होना स्वाभाविक है।

संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद ऐसे प्राकृतिक और अनिवार्य अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का नाम दिया और मानवाधिकारों की उद्घोषणा में सूचीबद्ध किया। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के इस प्रयास का स्पष्ट उद्देश्य है कि दुनिया के किसी भी देश में स्थापित कोई भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन अधिकारों को प्रदान करे तथा इन अधिकारों की रक्षा करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन सम्मान से जीने के लिए आवश्यक स्थिति प्रत्येक देश में प्राप्त हो। यह कदम बहुत बड़ा कदम था और इससे पूरे विश्व में मानवाधिकारों को मान्यता एवं सम्मान प्राप्त हुआ। इन अधिकारों के प्राप्त होने से अनेक देशों के वंचित और पीड़ित नागरिकों ने अपनी सरकारों से इन अधिकारों को पाने के लिए आन्दोलन और संघर्ष किए और अन्ततः सफल हुए। इस सन्दर्भ में दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लिया जा सकता है जहाँ रंगभेद की नीति लागू थी और गोरे काले के बीच अधिकारों की समानता नहीं थी।

अधिकारों के प्रति बढ़ी जागरूकता से बदलते परिवेश में नागरिकों के सामने नई समस्याएँ आ रही हैं तो वह सरकारों से नए अधिकारों की माँग भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, चिरंजीवी, टिकाऊ, विकास जैसी माँगे उठ रही है। गरीबी और भूख से मुक्ति, बीमारियों से बचाव, रोजगार का अधिकार और शिक्षा एवं सुरक्षा के अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहे हैं। यद्यपि मानवाधिकार हमारी नैतिकता को जागृत करते है और यह सोचने पर विवश करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इन अधिकारों की उतनी ही आवश्यकता जितनी कि मुझे या मेरे परिवार जनों को है।

कानूनी अधिकार और राज्य

वर्तमान शासन प्रणालियों में शासन की सहायता और स्वीकृति के बिना अधिकारों का पाना और सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। अत: सभी सरकारें अपने नागरिकों को कानून के माध्यम से अधिकार प्रदान करती हैं ताकि उनकी अवहेलना अथवा उल्लंघन पर कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। अनेक देशों ने अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए हैं जो कमोवेश एक जैसे हैं और जिनसे नागरिक अपना विकास कर सकते हैं। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संविधानिक उपचारों का अधिकार को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में दिए गए यह अधिकार मानवाधिकारों के अनुरूप ही हैं और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को सम्मान देते हैं। कानून अथवा संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, सरकार को लोगो के प्रति जवाब देह बनाते हैं। सरकार के लिए ऐसे अधिकारों को प्रदान करना, उनकी अवहेलना अथवा उल्लंघन को रोकना, अधिकारों का लाभ नागरिकों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है और ऐसे अधिकारों को पाने के लिए नागरिक भी सरकार से जवाब माँगते हैं और सरकार को बाध्य करते हैं कि सांविधानिक और कानूनी अधिकारों का लाभ लोगों तक पहुँचाएँ।

जहाँ सरकार का यह दायित्व है कि वह अधिकारों के लाभ को लोगों तक पहुँचाए वहाँ समाज भी अपने बल पर इन अधिकारों का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने में योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए 'शिक्षा का अधिकार' को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करे परन्तु यदि समाज भी इस अधिकार के महत्व को समझे और इस अधिकार के लाभ को सब तक पहुँचाने में योगदान देना चाहे तो निजी स्तर पर अनेक विद्यालय खोले जा सकते हैं और सरकार के साथ मिल कर सहयोग दिया जा सकता है।

अधिकारों के बारे में एक अन्य बात विचारणीय है अधिकार केवल यही संकेत नहीं करने कि सरकार को क्या करना चाहिए बल्कि यह भी संकेत करते हैं कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार को ऐसा कोई कानून या कार्यवाई नहीं करनी चाहिए जिससे सरकार, कानून अथवा संविधान द्वारा दिए अधिकारों का उल्लंघन होता हो। सरकार को व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए ही कदम उठाना चाहिए। सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए यदि कुछ करना आवश्यक भी ही तो भी सरकार को व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सरकार को उसकी सीमा का अतिक्रमण करने से रोकते हैं। जैसे सरकार किसी व्यक्ति को बिना कारण और अपराध बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार व्यक्ति को कानून के अन्तर्गत अपनी सुरक्षा का अधिकार है अत: उसे अपनी पसन्द का वकील चुनने और वकील के उसके बचाव के लिए पैरवी करने से नहीं रोक सकती। वास्तव में नागरिकों के अधिकार 'सरकार' को बेलगाम होने से रोकते हैं और प्रत्येक की उन्नति और विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

अधिकारों के प्रकार

हम अधिकारों को उनके सम्बन्धों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार जैसे अधिकारों को राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। इसी प्रकार रोजगार का अधिकार अथवा उचित

मजदूरी प्राप्त करने के अधिकार आर्थिक अधिकार कह जाते हैं। धर्म से सम्बन्धित अधिकारों को धार्मिक अधिकार, समाज से सम्बन्धित अधिकारों को समाजिक अधिकार, व्यक्ति के निजी जीवन से सम्बन्धित अधिकारों को निजी अधिकार और सम्पति से सम्बन्धित अधिकार का सम्पति का अधिकार कहा जाता है। लोकतन्त्र में अधिकारों की सूची निरन्तर बढ़ रही है परन्तु जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार है जो सबके लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य हैं।

अधिकार और कर्त्तव्य

'अधिकार' केवल सरकार का दायित्व ही नहीं है अपितु यह प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है वह दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे तथा उसके अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन न करे। यदि मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है तो दूसरे को भी यही अधिकार है। अतः प्रत्येक को अपने विचार व्यक्त करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे दूसरे के सम्मान का उल्लंघन न करें। आज पूरा विश्व प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। मुझे स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है तो अन्य सभी को भी यही आवश्यकता है। अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी काम से पर्यावरण की हानि न हो तथा प्रदूषण न बढ़े। हमारे अधिकार असीम नहीं हो सकते। हमारे अधिकार वहाँ समाप्त हो जाते है जहाँ से दूसरे के अधिकार शुरू होते है। समझने की बात यह है कि अधिकारों का साथ कर्त्तव्य जुड़े हुए हैं। यदि हम केवल अधिकारों की माँग करे, उनका उपभोग करें और अपने कर्त्तव्यों का पालन न करें तो सोर अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। जरूरी यह है कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं जो वैसा व्यवहार दूसरों के लिए करना चाहिए। अधिकार और कर्त्तव्य पर स्तर जुड़े हुए हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आवश्यक है कि हम केवल अपने लाभ और हितों के बारे में न सोचे अपितु सार्वजनिक हित और सबके अधिकारों का भी ध्यान रखें और उन्हें महत्व दें। दूसरा हमें अपने अधिकारों से अधिक दूसरो के अधिकारों को सम्मान देना चाहिए। तीसरे किसी भी संघर्ष और विवाद के समय में सन्तुलन बैढ़ाना चाहिए जिससे समाधान निकले न कि विवाद बढ़े। चौथे हमें अपने अधिकारों की सीमाओं के प्रति सचेत और सर्तक रहना चाहिए और कभी भी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि हमें सरकार का विरोध करने का अधिकार नहीं है। यदि हमें अपनी विचारधारा और दृष्टि में सरकार के किसी निर्णय के प्रति असन्तोष और असहमति है तो लोकतंत्र में हमें सरकार का विरोध करने की अधिकार है परन्तु इसके लिए हमें दूसरों की सुविधाओं और शान्ति का ध्यान रखना चाहिए और कानून सम्मत तरीके से ही अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्त्तव्य का सही रंग से पालन करेगा तो सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

पाठगत अवधारणाएँ

(i) अधिकार	–	''राज्य व समान द्वारा स्वीकृत दावों को अधिकार कहा जाता है''
(ii) सांविधानिक	–	संविधान से सम्बन्धित अथवा संविधान से उल्लिखित
(iii) कर्त्तव्य	–	ऐसे कार्य जो नैतिक रूप से हमें करने चाहिए।
(iv) मानवाधिकार	–	ऐसे अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वजनिक घोषणा पत्र में सम्मिलित किए हैं तथा जिनकी पालना सभी राज्यों को करनी चाहिए। ऐसे अधिकार जो प्रत्येक

		को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए भले ही वह किसी भी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत रह रहा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया।
(v) प्राकृतिक अधिकार	–	ऐसे अधिकार जो प्राकृतिक रूप या जन्म से हमें उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं।

संवद्धित मूल्य

- विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह में तत्पर रहना सीखेंगे।
- अधिकारों का महत्व समझतें हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे।

क्रियाकलाप

(i) विद्यार्थी ऐसे अधिकारों की सूची बनाएँ जो उन्हें अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य लगते हैं। प्रत्येक ऐसे अधिकार की आवश्यकता के प्रति अपना एक तर्क भी लिखें।

(ii) विद्यार्थियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों की सूची बनाने के लिए कहें। प्रत्येक मौलिक अधिकारों में समाहित अधिकारों को भी उजागर करें।

मूल्याकंन

(i) 'अधिकार' शब्द को परिभाषित कीजिए।

(ii) 'शिक्षा का अधिकार' कौन से मौलिक अधिकार का अंग है।

(iii) रंग भेद की नीति किस देश से सम्बन्धित थी।

(iv) 'मौलिक अधिकार' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

(v) मानवाधिकार के अर्थ की व्याकरण कीजिए।

(vi) भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों में से कोई चार अधिकार स्पष्ट कीजिए।

(vii) 'मानवाधिकार' क्यों महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न सरकारों को इनकी पालना क्यों करनी चाहिए। तर्क सहित उत्तर दीजिए।

(viii) "अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है" इस कथन का अर्थ स्पष्ट करते हुए अधिकार और कर्त्तव्य के बीच सम्बन्ध उजागर कीजिए।

पाठ-3

भारतीय संविधान में अधिकार

परिचय

संविधान केवल सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों को बंटवारा करने तथा उनके आपसी संबंधों की व्याख्या करने वाला ही नहीं बल्कि सरकार ओर नागरिको के बीच संबंधों को भी व्याख्या करने वाला दस्तावेज है। यह सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है और नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन भी प्रदान करता है। ऐसा यह सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के माध्यम से करता है। इस नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए विश्व के सभी संविधानों में अपने अपने समाज की आवश्यकता के अनुसार नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं। ये अधिकार नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक विकास, राजनैतिक सुरक्षा, मानव की गरिमा बनाये रखने तथा सरकारों को तानाशाह बनने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इस अध्याय के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि,

1. भारत के संविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं?
2. इन सभी अधिकारों की सुरक्षा हेतु संविधान में क्या प्रावधान किये गए हैं?
3. मौलिक अधिकारों की व्याख्या तथा सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है?
4. राज्य के नीति-निदेशक तत्व क्या हैं?
5. मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्व में क्या अंतर है?

इस अध्याय में यह भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि क्या संविधान लागु होने से अबतक मौलिक अधिकारों का स्वरूप कुछ बदला है? और क्या ये कुछ विस्तृत भी हुए हैं या नहीं?

अधिगम परिणाम

1. छात्र मौलिक अधिकारों की प्रकृति को समझ पाएंगे!
2. मौलिक अधिकारों के प्रावधानों की समझ भी विकसित होगी!
3. भारतीय संविधान के दुवारा दिए गए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता तथा महत्व को जान पाएंगे।
4. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों तथा विश्व के विभिन्न संविधानों में उपलब्ध मौलिक अधिकारों के तुलनात्मक अध्ययन की समझ का विकास होगा।
5. छात्रों को भारतीय संविधान के उन प्रावधानों की समझ हो पाएगी जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6. भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्व को सम्मलित करने की आवश्यकता से छात्र अवगत हो पाएँगे।
7. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति से अवगत हो पाएँगे।
8. मौलिक अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्वों के मध्य अंतर को समझना सरल होगा।

अधिकारों का महत्त्व

अधिकारों के महत्त्व को दर्शाती दो घटनाएँ।

1. 1982 में एशियाई खेलों से पूर्व निर्माण कार्य में ठेकेदारों ने हजारों मजदूरों को सरकार द्वारा तय मजदूरी से कम मजदूरी दी गई। कुछ समाज वैज्ञानिकों ने सवोच्चय न्यायलय में एक याचिका दायर की ओर इस घटना को "बेगार" तथा "बंधुवा मजदूरी" जैसा कहा। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और सरकार को निर्देश दिया कि मजदूरों को निर्धारित मजदूरी दिलवाई जाए। इस मामले में शोषण के विरुद्ध सांविधानिक अधिकार के कारण मजदूरों को न्याय मिल सका।
2. असम के मड़ीगाँव जिले के चुबुरी गाँव का मचल लालुँग जिस समय 23 वर्ष का था तब उसे किसी को गंभीर चोट पहुँचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुकदमें की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया, उसे तेजपुर के अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्त्ती करवाया गया। डाक्टरों ने जेल अधिकारियों को दो बार 1967 तथा 1996 में चिटठी भेजी कि वह अब स्वस्थ है। परन्तु इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस के कारण वह स्वस्थ होने के बावजूद बगैर मुकदमें और सुनवाई के जेल में रहा। और वह 2005 में 54 वर्ष जेल में रहने के उपरान्त 77 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक टीम के निरिक्षण के बाद स्वतंत्र हो पाया। इस मामले में मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन देखने को मिलता है।

अधिकारों का घोषणा पत्र

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है और इन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है। इन संरक्षित अधिकारों की सूचि को "अधिकारों का घोषणा पत्र" कहते हैं। यह सरकारों को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। और उसका उल्लंघन किये जाने पर उपचार भी सुनिश्चित करता है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी निजी संगठन, और सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही अथवा न्यायपालिका के द्वारा किये जाने वाले कार्यों से भी नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। अतः संविधान में उन की सुरक्षा के प्रावधान अनिवार्य तौर पर होने चाहिए।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार:

मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों से भिन्न होते हैं। कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए साधारण कानूनों की सहायता ली जाती है जबकि मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान सुनिश्चित करता है। संसद कानून बना कर सामान्य अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है परन्तु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन बिना संविधान में संशोधन किए नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि सरकार औचित्पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।

1. समता का अधिकार

समानता का अधिकार के द्वारा जो समानताएँ दी गई हैं उन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है।

- कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- सभी को कानून का सामान संरक्षण
- धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- बिना किसी भेदभाव के सभी को रोजगार के अवसरों में समानता।

  अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिको के किसी वर्ग के पक्ष में जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।"

  अर्थात सामाजिक विषमताओं के कारण राज्य के अधीन सेवाओं की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करना इस का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

- सभी प्रकार की पदवियों की समाप्ति। (ये पदवियां अंग्रेजी शासन काल में राय साहब, खान बहादुर सर आदि थीं। जिन के कारण समाज में असमानता का माहौल बना हुआ था।)
- छुआछुत की समाप्ति। (हजारों सालों तक कुछ जातिओं से सम्बंधित लोगों को नीचा समझा जाता था और उनके छू जाने से अपवित्र हो जाने की परम्परा के चलते उन्हें अछूत कहा जाता था। इसी कारण से उन्हें समान नहीं समझा जाता था।)

समानता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा एवं गरिमा प्राप्त हो सके।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

भारत के संविधान में समानता के बाद दूसरा सब से महत्वपूर्ण अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति तथा कार्य करने की स्वतंत्रता। इस का अर्थ यह नहीं है की सभी को सभी कुछ करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता की सही परिभाषा यह है कि किसी अन्य की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए बिना कानून–व्यवस्था का उल्लंघन किए बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सके।

स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित शीर्षकों की मदद से समझा जा सकता है।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी को भी कारण बताए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील के माध्यम से अपने बचाओ का पूरा अधिकार है। यही नहीं पुलिस का यह कर्तव्य है की वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मैजिस्ट्रेट ही इस बात का फैसला करेंगे की गिरफ्तारी उचित है या नहीं?

इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने और भी व्यापक बना दिया है। एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि 'जीवन के अधिकार' का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय तथा जीविका का भी अधिकार है क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता।

निवारक नजरबंदी

यदि सरकार को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना भी कुछ अवधि के लिए उस व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। इस व्यवस्था को निवारक नजरबंदी कहा जाता है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि 3 महीने हो सकती है और यह अवधि बीतने के बाद इस प्रकार के मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाये जाते हैं। यह व्यवस्था सरकार को राष्ट्र विरोधी तथा असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए की गई है। लेकिन सरकार के दुवारा इस के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे उपायों को अपनाने की वकालत करते हैं जिस के कारण सामान्य नागरिकों के विरुद्ध इस के दुरूपयोग की संभावनाओं को नकारा जा सके।

अन्य स्वतंत्रताएं

भारतीय संविधान में कई प्रकार की स्वतंत्रताए प्रदान की गई हैं। परन्तु यह ध्यान रहे कि स्वतंत्रता व्यक्तिगत है और इन के इस्तेमाल से दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। इसी लिए इन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे:-

स्वतंत्रता	प्रतिबंध
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	कानून व्यवस्था, शांति, एवं नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता	परन्तु इस शर्त के साथ की वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की सरकार किसी क्षेत्र में पाँच या इस से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है।
संगठित होने की स्वतंत्रता	परन्तु संगठित होने का उद्देश्य गैर कानूनी नहीं होना चाहिए।
भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता	यदि कहीं आने-जाने से शांति व्यवस्था को खतरा हो तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
भारत के किसी भी हिस्से में बस जाने की स्वतंत्रता	जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर।
कोई भी पेश चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता	परन्तु योग्यता के आधार पर
6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 A में 86वें संशोधन के दुवारा सम्मलित किया गया।	

आरोपी या अभियुक्त के अधिकार

किसी आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को निष्पक्ष मुकदमें के लिए संविधान में तीन अधिकारों की व्यवस्था की गई है–

- किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती।
- किसी भी काम को जो कानून बनने से पहले किया गया हो, अपराध घोषित नहीं किया जा सकता।
- किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सुबूत देने या गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

इस अधिकार के तहत निम्नलिखित बातों को सम्मलित किया गया है।

- बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध।
- दास व्यापार पर रोक।
- 14 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम वाले श्रम करवाने की मनाही।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- **आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता**

भारत में सभी नागरिकों को आस्था और प्रार्थना का अधिकार है। इस का अर्थ यह है की कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को बिना किसी रुकावट के मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। सरकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जैसे नर-बलि, सती प्रथा आदि जेसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। परन्तु जब सरकार किसी धार्मिक समुदाय की कुरीतियों के विरुद्ध कोई करवाई करती है। तो उसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का नाम दे दिया जाता है परन्तु इसे हस्तक्षेप नहीं माना जाता।

- **सभी धर्मों की समानता**

इस के अनुसार भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगी इस का अर्थ यह भी है कि सरकार किसी धर्म-विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत के उच्च पदों पर कार्य करने के लिए किसी विशेष धर्म का होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए भी धर्म कोई आधार नहीं है। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी विशेष धर्म को वरीयता दी जा सकती है। सभी धर्मों के समानता के आधार पर समान अधिकार प्राप्त हैं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

भारतीय समाज विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ छोटे और बड़े समुदाय विद्यमान हैं। भारतीय संविधान की यह मान्यता

है की विविधता हमारे समाज की मजबूती है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक धर्म, भाषा, एवं संस्कृति के आधार पर भी हो सकते है। और सभी को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने एवं उसे विकसित करने का अधिकार है।

इसी अधिकार के तहत भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के दुवारा अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर कोई भेद-भाव नहीं कर सकती कि इस का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी थी क्योंकि इसी अधिकार के द्वारा कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए सरकारों को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय इस संदर्भ में कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकता है जिन्हें प्रादेश या रिट कहते है। ये इस प्रकार हैं।

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण**–इस प्रादेश के दुवारा न्यायलय किसी गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यदि न्यायालय गिरफ्तारी को गैर कानूनी माने तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का ओदश दे सकती है।
2. **परमादेश**–इस प्रादेश को न्यायालय उस स्थिति में जारी करता है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन न करने से होता है।
3. **निषेधादेश आवेश**–यह प्रादेश उच्च न्यायालय अपने से निचले न्यायालय को उस स्थिति में जारी करता है कि जब वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर किसी मुकदमें की सुनवाई करती है। उस सुनवाई पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया जाता है।
4. **अधिकार पृच्छा**–किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जिस पर नियुक्त होने का उसका कानूनी अधिकार न हो यह प्रादेश न्यायालय जारी करता है।
5. **उत्प्रेषण रिट**–जब कोई कार्य किसी अधिकारी या निचली अदालत के द्वारा बिना अधिकार के किया जाता है तो न्यायालय उसके समक्ष मामलों को ऊपरी आदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है।

मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अन्य सरंचनाओं का गठन–

न्यायपालिका के अतिरिक्त भी कुछ अन्य संरचनाओं का गठन मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु किया गया है। इन में से कुछ इस प्रकार है।

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
- राष्ट्रीय महिला आयोग।

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (इस का गठन 2000 में हुआ था।)

राज्य के नीति-निदेशक तत्व

नव स्वतंत्र भारत के समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ थीं जिन से संविधान निर्माता भली भांति परिचित थे। इन चुनौतियों के चलते सभी के बीच समानता लाना संभव नहीं था। इस लिए उन्होंने इन समस्याओं के निवारण के लिए यह महसूस किया कि कुछ नीतिगत निर्देश अनिवार्य हैं। परन्तु वे इन्हें सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं चाहते थे। इसी लिए उन्हें वाद योग्य नहीं बनाया गया। अर्थात इन्हें न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। वे इन तत्वों के पीछे की नैतिक शक्ति के द्वारा लागू करवाने के पक्ष में थे वे यह समझते थे कि जनता इन्हें लागू करवाने की ज़िम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः इन निर्देशों की एक सूची संविधान में डाल दी गई और उसे राज्य के नीति-निदेशक तत्व का नाम दिया गया।

नीति निदेशक तत्व क्या है?

इन तत्वों में मुख्यतः तीन बातों को सम्मलित किया गया है–

- वे लक्ष्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
- वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त मिलने चाहिए।
- वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नीति-निदेशक तत्वों को सरकार के द्वारा लागू करने के प्रयास के तौर पर होने वाले कार्यों को निम्न में इस प्रकार लिखा जा सकता है।

1. ज़मीदारी उन्मूलन कानून
2. न्यूनतम मजदूरी निर्धारण
3. कुटीर तथा लघु उद्योग को प्रोत्साहन
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि को लागू करना।
5. शिक्षा का अधिकार
6. पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू करना।
7. रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम का सीमित अधिकार।
8. स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि का प्रबंध।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से सम्बंधित महत्वपूर्ण बातें:

- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में 42 वे संशोधन द्वारा सम्मलित किये गए थे। उस समय इन

में कुल 10 कर्तव्य थे और अब यह 11 हो चुके हैं। संविधान के 86 वें संशोधन के द्वारा अनुच्छे 51 k में 6 ये 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलवाने का दायित्व माँ-बाप पर डाल दिया गया है।

- इन कर्तव्यों को लागू करने के सम्बन्ध में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है।
- संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार इस आधार पर देने की बात नहीं करता कि पहले कर्तव्यों का पालन किया जाए।

नीति-निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में सम्बन्ध

मौलिक अधिकार	नीति-निदेशक तत्व
मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगते हैं।	नीति-निदेशक तत्व सरकार को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं।
मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं।	नीति-निदेशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं।
मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अर्थात इन्हें न्यायालयों के द्वारा लागु करवाया जा सकता है।	नीति-निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात इन्हें न्यायालयों के द्वारा लागु नहीं करवाया जा सकता है।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नीति-निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कभी-कभी मौलिक अधिकारों से टकराव हो जाता है। जैसा ज़मीदारी उन्मूलन कानून बनाने के समय संपत्ति के अधिकार से टकराव हुआ था। इस मामले में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों की राय अलग-अलग थी। अतः समाज कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में संशोधन करना पड़ा था।

संपत्ति का अधिकार

मूल संविधान में हर नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, स्वामित्व तथा संरक्षण का अधिकार दिया गया था वहीं संविधान में स्पष्ट था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। मौलिक अधिकार तथा नीति-निदेशक तत्व के बीच विवाद इसी अधिकार में निहित था। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 'संपत्ति के अधिकार' को संविधान के मूल ढाँचे का तत्व नहीं माना और न्यायालय ने कहा की संसद को संविधान का संशोधन कर के इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। अतः 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल कर अनुच्छेद 300 (क) के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया।

इस के उपरान्त सरकारों ने यह माना कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी अंश में संशोधन किया जा सकता है। परन्तु यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय "केशवनन्द भारती मुकदमें" के बाद समाप्त हुआ। निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि, 'संविधान की कुछ मूल-ढाँचागत विशेषताएँ हैं और संसद द्वारा इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

पाठगत अवधारणाएँ

1. **वाद-योग्य:** ऐसे प्रावधान जिन्हें न्यायालयों के माध्यम से लागू करवाया जा सके।
2. **प्रादेश:** न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश जो प्राय: मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किये जाते हैं।
3. **अल्पसंख्यक:** ऐसा समुदाय जो संख्या में कम हो।
4. **बेगार:** ऐसी व्यवस्था जिस में मजदूरों को बगैर किसी मुआवज़े के कार्य करने पर मजबूर किया जाता है। इस व्यवस्था को बंधुवा मजदूरी भी कहते हैं।
5. **निवारक नज़रबंदी:** ऐसी गिरफ्तारी जिस में किसी व्यक्ति को इस लिए गिरफ्तार किया जाता है कि उस के द्वारा किसी जुर्म को करने का अंदेशा है।

क्रियाकलाप

- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान के मौलिक अधिकारों की एक सूची बनाइए तथा लिखिए कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में हैं परन्तु भारत में नहीं है? उन्हें भारत के संविधान में क्यों होना चाहिए?
- भारतीय संविधान में सम्मिलित शिक्षा के अधिाकर को आप के क्षेत्र में कैसे लागू किया गया है? एक सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाइए।

मूल्यांकन

1. 86वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मलित किया गया है? (1 अंक)
2. भारत के संविधान में कौन से मौलिक अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा जाता है? (1 अंक)
3. बेगार को किस मौलिक अधिकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? (1 अंक)
4. भारत के संविधान में कौन से मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति तथा धर्म के संरक्षण की गारंटी देते हैं? (2 अंक)
5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से सम्बंधित दो अधिकार लिखिए? (2 अंक)
6. भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। (4 अंक)
7. संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा न्यायालय जो प्रादेश जारी करते हैं उनका उल्लेख कीजिए। (4 अंक)
8. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। (6 अंक)

संवर्धित मूल्य

1. अधिकारों के महत्त्व का बोध।
2. अधिकारों और कर्तव्यों के परस्पर रिश्तों का बोध।
3. मौलिक कर्तव्यों के पालन की भावना का विकास।

पाठ-4

नागरिकता

परिचय

नागरिकता, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक, किसी न किसी राष्ट्र की अवधारणा से सीधे जुड़े होते है। उदाहरण के लिए भारत के नागरिक या अमेरिका के नागरिक आदि जो जैसे ही किसी राष्ट्र से सम्बन्धित होते है वैसे ही उन्हें वे सभी विशिष्ट अधिकार प्राप्त हो जाते है जो उस राष्ट्र के संविधान अथवा सर्वोच्च कानूनी संस्था द्वारा देश के नागरिकों को प्रदान किये गये है।

नागरिकों के प्राप्त अधिकार, विशेषकर वर्तमान लोकतांत्रिक, समाजवादी व्यवस्थाओं में इस प्रकार व्यवस्थित अधिकार है जो गैर सामाजिक आर्थिक बन्धनों को तोड़कर एक ऐसा माहौल स्थापित कर पाने में सक्षम हो जहाँ प्रत्येक नागरिक अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास कर सकें यहाँ यह समझ पाना आवश्यक है कि अनेको ऐसे नागरिक अधिकार भी है जो किसी देश में आने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए भारत में प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार है। यह अधिकार भारत में आने वाले भारतीय को भी प्राप्त है। आज विश्व में लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को वे ऐसे सभी अधिकार नागरिकता के आधार पर प्रदान करता है जो राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उनके हितों की सुरक्षा कर सके। प्रत्येक नागरिक अपनी नागरिकता के आधार प न केवल अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, अपितु अधिकारों के हनन की स्थिति में नागरिकता के आधार पर "अधिकर संरक्षण" की माँग भी कर सकता है। भारत में मौलिक अधिकारों की धारा 32 इसका एक सशक्त उदाहरण है जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायलय प्रत्येक नागरिक के मूल-भूत अधिकारों का रक्षक व संरक्षण का वादा करता है।

भारत एकल नागरिकता का अच्छा उदाहरण है, जबकि अमेरिका दोहरी नागरिकता का एक व्यवहारिक उदाहरण है।

एक देश से दूसरे देशों में जाकर कार्य करने, बसने अथवा कालान्तर में नागरिकता प्राप्त करने के सन्दर्भ सम्बन्धी अनेकों उदाहरण देखे जा सकते है। दूसरे देशों में रोजगार संम्बधी कार्य हेतु जाने वाले नागरिकों के अधिकारों में पूर्ण समानता संभव नहीं हो पाती है। हाँलाकि वैश्विक नागरिकता या मानवीय अधिकारों की मुहिम के माध्यम से ऐसे अनेको नागरिक अधिकार गिनाये जा सकते है जो नागरिकता की सामान्य परिभाषा से ऊपर सभी के समान है। जीवन व सुरक्षा सम्बंधी अधिकार इसी श्रेणी को इंगित करते हैं।

अधिगम परिणाम

- नागरिकता के सामान्य पक्ष की भले-भांति समझ पाएगें।
- लोकतंत्र व नागरिकता का घनिष्ट पक्ष जान सकेगे।
- नागरिका के सन्दर्भ में राष्ट्रीय व गैर राष्ट्रीय अधिकारों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

- नागरिकता के आधार पर अधिकार संरक्षण का अर्थ समझ सकेंगे।
- विश्व के अनेकों ऐसे लोगों का नकारात्मक पक्ष समझ पाएंगे जो दुर्भाग्यवश किसी भी देश की नागरिकता अनेको कारणों से प्राप्त नहीं कर पाये है।

विषयवस्तु

नागरिकता, किसी भी नागरिक के राजनैतिक-सामाजिक सहभागिता की वैधानिक पहचान है। एक राष्ट्र की नागरिकता का अर्थ उस राष्ट्र से प्रत्यक्ष जुड़ना जीवन सुरक्षा व आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व के विकास की आजादी का वचन है। एक देश अपने नागरिको की सुरक्षा नागरिकता के आधार पर करता है। यदि किसी देश के नागरिक के अधिकारों का हनन होता है जो यह किसी राष्ट्र विशेष पर प्रायः संघर्ष जैसी स्थिति के समान होता है। अनेको बार जब किसी भारतीय मूल के नागरिक पर विश्व के किसी अन्य भाग में कोई अमानवीय घटना होती है तो सम्पूर्ण भारत में इस पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है, जो भारतीय नागरिकता के मर्म को समझ पाने का एक अच्छा उदाहरण है।

नागरिकता एक समान सदस्यता का भाव प्रकट करती है। एक देश के नागरिक अनेकों ऐसे अधिकारों का प्रयोग करते है जो बाहर से आये दूसरे देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण मतदान का अधिकार है। दूसरी और वैश्विक नागरिकता के आधार पर अनेकों ऐसे प्रचलित अधिकार है जो नागरिकता अथवा नागरिक परिधि से दूर है। विश्व के सभी लोगों को प्रदान किये सार्वभौमिक मानवीय अधिकार इसी सन्दर्भ में देखे जा सकते है।

ध्यान से देखें तो सभी नागरिक अधिकार लम्बे संर्घष के पश्चात ही प्राप्त हुए है। अमेरीकी क्रान्ति, फ्रांस की क्रान्ति ऐसे प्रभावशाली उदाहरण है, जब संर्घष के उपरान्त ही समानता, स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व जैसे मानवीय अधिकार विश्व मानवीय अधिकारों के रूप में परिवर्तित हुये व स्वीकारे गए।

80 से 90 के दशक में जब अफ्रीका के अनेकों राष्ट्रों में सैनिक विद्रोह, ग्रहयुद्ध, जैसी घटनाओं ने लाखों लोगों को अपने देश को छोड़ने पर मजबूर किया। वे किसी दूसरे देश में पलायन जैसी स्थिति का शिकार बने तो नागरिकता व राष्ट्र द्वारा सुरक्षा का स्वाभाविक अर्थ प्रभावपूर्ण ढंग से समझा जा सका। दुर्भाग्य वश किसी भी देश का नागरिक न हो पाना अथवा पलायन जैसी स्थिति में एक देश की नागरिकता व नागरिकों के मूल-भूत अधिकारों का महत्व एवं आवश्यकता को आसानी से समझ जा सकता है।

नागरिकता, राष्ट्र एवं नागरिकों के मध्य एक प्रतिबद्धता एवं दायित्व पूर्ण व्यवहार है। नागरिकता एक देश के नागरिकों को उन्मुक्त न्यायपूर्ण व्यवहार हेतु दिया गया वचन है। नागरिकता, नागरिकों में आत्मीयता, साझेदारी व जिम्मेदारी का भाव-प्रदान करती है जो देश को एक रूपता व सामाजिक-आर्थिक न्याय के पथ पर गतिशील बनाये रखती है।

मूलतः नागरिकता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों विशिष्ट गुणों के आधार पर मानवीय अधिकारों के सन्दर्भ में परिभाषित की जाती रही है। राष्ट्रीय नागरिकता के अतिरिक्त वैश्विक नागरिकता की चर्चा जोरों पर है एवं यह स्वाभाविक भी है तो मानवीय संवेदनाएँ, सुरक्षा भाव, तत्परता एवं विश्व-कुटब आधार पर सहायता वास्तव में विश्व नागरिकता ही है। राष्ट्रीय नागरिकता के भाव का चरमोत्कर्ष विश्व नागरिकता है जो भविष्य की वास्तविक धरोहर एवं विश्वस्तरीय शान्ति प्रथ के मार्ग को प्रबल बनाती है।

पाठयगत अवधारणाएँ शब्द

निहितार्थ	–	हितों का संर्बधन
सांझेस्वार्थ	–	एक पक्ष के हित
बाध्यताएँ	–	अनिवार्यता

प्रस्तावित क्रियाएँ

1. मौलिक अधिकारों के महत्व को अनेकों उदाहरणों द्वारा समझना एवं नागरिकता के सन्दर्भ में उनकी भूमिका का वर्णन।
2. अनेकों अफ्रीकी देशों मे लोकतान्त्रिक एवं अन्य जिम्मेदारी पूर्ण शासन व्यवस्थाओं की असफलता के कुछ सामान्य कारणों की जाँच एवं इसके कारण नागरिक अधिकारों का हनन।
3. सार्वभौमिक मानवीय अधिकार घोषणापत्र का सामान्य ज्ञान।
4. विश्व नागरिकता के महत्व को समझने हेतु सामान्य क्रियाकलाप (स्वयं खोजें)

मूल्यांकन

नागरिकता का सीधा अर्थ सामान्यतः एक राष्ट्र के नागरिकों से जोड़ा जाता है, जो नागरिकता के आधार किसी राष्ट्र विशेष से अनेको अधिकार प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु प्रयासरत रहते है। नागरिक होने के नाते सभी नागरिकों के अनेको उत्तरदायित्व प्रकट होते है जिन्हें अधिकारों व कर्त्तव्यों की संज्ञा दी जा सकती है।

वर्तमान युग विश्व भाई-चारे के सिद्धान्त पर कार्यरत है। जिसका अर्थ यह भी है कि सम्पूर्ण विश्व की नागरिकता के सिद्धान्त से कही अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली है।

विश्व नागरिकता जहाँ एक ओर सकल सुरक्षा के सिद्धान्त पर आधारित है, वही वैश्विक समस्याओं का साझा-समाधान एवं शान्तिपूर्ण-सहअस्तित्व की परिकल्पना को सबल बनाती है।

सम्बधित मूल्य

राष्टीय स्तर पर नागरिकता, नागरिक एवं अधिकारों के क्रमबद्ध ज्ञान को समझना आसान होगा। नागरिकता राष्ट्र के प्रति उत्तरदायितव पूर्ण व्यवहार है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में भारतीय नागरिकता की सबलता, नागरिक अधिकारों में निहित है। राष्ट्रीय नागरिकता के मार्ग द्वारा विश्व नागरिकता के पक्ष का सबलीकरण वर्तमान विश्व की सकारात्मक आवश्यकता है। वैश्विक चुनौतियाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने हेतु विश्व नागरिकता को मजबूत एवं प्रभाव पूर्ण ढंग से व्यवस्थित व समझने की आवश्यकता है।

पाठ–5

स्वतंत्रता

परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा मानव इतिहास के विकास का मूल बिन्दु रही है। 1215 का मैग्नाकार्टा, 1689 का बिल ऑफ राइट्स, जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त जिसमें–जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार शामिल थे। 1859 में जे.एस.मिल की कृति 'ऑन लिबर्टी' में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन 1958 में आइर्जिया बर्लिन ने 'टू कान्सैप्ट ऑफ लिबर्टी' लिखी। 1789 में फ्रांस के घोषणापत्र में 'स्वतंत्रता, समानता व भातृत्व' का नारा दिया। स्वतंत्रता मनुष्यों को अपने जीवन को सम्मानपूर्ण व मनुष्य के रूप में आचरण करने के लिए आवश्यक है। मगर मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने अधिपत्य में ले लिया।

विश्व में कई देशों में तानाशाही शासकों व सरकारों ने लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियन्त्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता हैं और चाहता है कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। इस पाठ में हम स्वतंत्रता के विविध पहलूओं, नेल्सन मण्डेला व आँग–सान–सू–की के स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष, हानि सिद्धान्त, अभिव्यक्ति की आजादी आदि विषयों का अध्ययन करेंगे।

अधिगम उद्देश्य/परिणाम–

इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थी

1. व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे।
2. नकारात्मक स्वतंत्रता व सकारात्मक स्वतंत्रता में अन्तर कर पाएँगे।
3. स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मण्डेला व आँग-सान-सू की के संघर्ष को जान पाएँगे?
4. 'हानि सिद्धान्त' के बारे में जानेगें।

विषय–वस्तु

स्वतंत्रता का अर्थ–स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में Liberty कहते हैं। Liberty शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Liber' शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है–'बंधनों का अभाव'। किन्तु 'स्वतंत्रता' शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित

स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। यदि स्वतंत्रता पर कोई अंकुश न हो तो स्वतंत्रता व स्वछंदता (मनमानेपन) में कोई अन्तर नहीं रहेगा।

स्वतंत्रता की परिभाषा

1. **मैकेंजी के अनुसार**–"स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है।"
2. **प्रोफेसर लास्की के अनुसार**–"स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो।"
3. **टी. एच. ग्रीन के अनुसार**–"जिस प्रकार कुरूपता का अभाव सुन्दरता नहीं है। उसी प्रकार बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है।"

स्वतंत्रता के पहलू/दृष्टिकोण

स्वतंत्रता के दो पहलू है।

1. स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू।
2. स्वतंत्रता का सकरात्मक पहलू।

1. स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू–स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के अनुसार व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए। स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक–टोक लगाए। एड्म स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया उसके अनुसार राज्य यदि आर्थिक कार्यो में हस्तक्षेप न करे तो व्यापार अपने आप ठीक–ठाक चलता रहेगा।

हरबर्ट स्पैन्सर ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया उसका कहना है कि राज्य एक पुलिसमैन की तरह ही कार्य करें, इससे अधिक और कुछ नहीं।

व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य के केवल दो प्रमुख कार्य है।

1. आन्तरिक व्यवस्था बनाए रखना।
2. बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा करना।

मिल का कथन है कि व्यक्ति का उद्‌देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास करना है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इस प्रकार मिल के अनुसार 'व्यक्ति के जीवन में राज्य का

न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत व निर्वाह करने की छूट' ही स्वतंत्रता है।

इस प्रकार स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता मानता है मगर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वर्तमान समय में नकारात्मक पहलू को उचित नहीं माना जाता है।

जे. एस. मिल के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और मस्तिष्क शरीर का पूर्ण स्वामी है।

नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते है कि व्यक्ति स्वयं इस बात को सबसे अच्छा समझता है कि उसे क्या चाहिए। इनके अनुसार–

1. यह प्रतिबंधों के अभाव को ही स्वतंत्रता कहते है।
2. यह सरकार के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप को आवश्यक मानते हैं।
3. यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देते हैं।
4. जितने अधिक कानून होंगे उतनी अधिक स्वतंत्रता कम होगी।
5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
6. अतः नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर कहते है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करें।

हानि सिद्धान्त

स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रमुख रूप से जे.एस.मिल ने अपने निबंध 'स्वतंत्रता' (On Lierty) में प्रस्तुत किया है। मिल के अनुसार व्यक्ति दो प्रकार का कार्य करता है।

1. जिनका प्रभाव केवल उसी तक सीमित रहता है।
2. वे कार्य जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है।

जे.एस.मिल ने 'स्वसंबद्ध' और 'परसंबद्ध' कार्यों में अन्तर बताया। स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यो को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता हैं। जबकि परसंबद्ध कार्य वे हैं, जो कर्त्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के अनुसार

हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक ही पहलू है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की आत्म–अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अन्दर उपस्थित संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है, जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें।

व्यक्ति को न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परन्तु उस पर कुछ बंधन आवश्यक है। हर तरह के कार्यों को करने को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। जुआ खेलने और चोरी करने जैसे अनैतिक कार्यों को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। केवल ऐसे कार्य को करना ही स्वतंत्रता है जिनसे व्यक्ति का आत्मविकास हो।

टी. एच. ग्रीन के अनुसार–'स्वतंत्रता' का अर्थ प्रतिबन्धों का अभाव नहीं है। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है उन कार्यों को करने या उन सुखों को भोगने का अधिकार है जो वास्तव में करने योग्य है।'

सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएँ

1. प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है।
2. स्वतंत्रता वह सकारात्मक शक्ति है जिसमें उन कार्यों को करने का अवसर मिले जो कार्य करने योग्य हो तथा जो अवसर भोगने योग्य हो।
3. स्वतंत्रता का आनन्द कुछ मर्यादाओं में रहकर ही उठाया जा सकता है वरना स्वतंत्रता व स्वछंदता (मनमानेपन) में कोई अन्तर नहीं होगा।

इस विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय मर्यादाओं में रहकर स्वतंत्रता का उपभोग करना है। इस प्रकार उचित प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रता को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।

स्वतंत्रता का आदर्श

"मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति हैं। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते।"

– आँग-सान-सू-की

आँग-सान-सू-की के लिए गाँधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणास्रोत रहे हैं। आँग-सान-सू-की को म्यांमार में उनके घर में नजरबंद करके रखा गया था। वह अपने बच्चों से अलग थी। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी आँग-सान-सू-की को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई, तो उसे वापिस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आँग-सान-सू-की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों के आजादी से जोड़कर देखती हैं। उन्हें 13 नवम्बर 2010 को नजरबंदी से रिहा किया गया तथा उनकी पार्टी ने 2015 में लगभग 86 प्रतिशत सीटें प्राप्त कर सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त किया तथा लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया। उनकी पुस्तक का शीर्षक 'फ्रीडम फ्रॉम फीयर' (भय से मुक्ति) है।

आँग-सान-सू-की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएँ।

नेल्सन मंडेला (जन्म 18 जुलाई 1918, मृत्यु 5 दिसम्बर 2013) की आत्मकथा का शीर्षक **'लाँग वाक टू फ्रीडम'** (स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा) है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाईयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवगमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल हैं। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधो को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के अट्ठाईस वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। क्योंकि नण्डेला अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप

से बहुत भारी कीमत चुकाई। वह 10 मई 1994 से 14 जून 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उनकी मृत्यु 5 दिसम्बर 2013 को लगभग 95 वर्ष की आयु में जोहन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुई।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का मुद्दा 'अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र' से जुड़ा हुआ माना जाता है। जे.एस. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए।

1. हो सकता है उस व्यक्ति की बात पूर्णतय: सत्य हो
2. यह भी हो सकता है कि उनकी बात में अर्ध-सत्य निहित हो।
3. यदि व्यक्ति की बात असत्य होगी तो भी सत्य के विस्तृत स्वरूप से हम अवगत होंगें।
4. विचारों को दबाने का नुकसान समाज को उठाना पड़ता है जैसे ईसा-मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तथा सुकरात को ज़हर का प्याला पिलाया गया।
5. जब भी कोई व्यक्ति नया विचार देता है तो लोग उसे पागल या सनकी कहते है मगर दुनिया में तरक्की इन्हीं पागल व सनकियों के माध्यम से होती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

फिल्मों पर सेंसरशिप भी होती है। ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं। तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। वर्तमान में फिल्मों पर सेंसरशिप एक विवादास्पद विषय है क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी व वर्तमान परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण को दर्शाने से रोकने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

पाठगत अवधारणाएँ–

1. **स्वराज**–स्वराज का अर्थ 'स्व' का शासन भी हो सकता है और 'स्व' के ऊपर के शासन भी हो सकता है। 'हिन्द-स्वराज' में गाँधी जी के अनुसार "जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है।"
2. **हानि सिद्धांत**–सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्म–रक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।
3. **सेंसरशिप**–ऐसे विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध जो कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता को संकट उत्पन्न करता हो।
4. **स्वसंबद्ध**–स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है।

5. **परसंबद्ध**–परसंबद्ध कार्य वे हैं, जो कर्त्ता कार्य करने वाले के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालता हैं।

6. प्राकृतिक अधिकार–जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। यह अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है, जिनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।

प्रस्तावित/सुझावित क्रियाकलाप

1. विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के लिए किए संघर्षों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें।
2. स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक पहलूओं का एक तुलनात्मक चार्ट बनाए।
3. नेल्सन मण्डेला व आँग-सा-सू की के संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखें।

मूल्यांकन प्रश्न

1. स्वतंत्रता का अर्थ बताइए? (1 अंक)
2. स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले दो नेताओं के नाम बताइए? (1 अंक)
3. नेल्सन मण्डेला की आत्मकथा का नाम बताइए? (1 अंक)
4. स्वतंत्रता के महत्व को बताइए? (2 अंक)
5. नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? (2 अंक)
6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइये। (4 अंक)

8. पेज 18 की तस्वीर मण्डेला की पुस्तक : (5 अंक)

(i) नेल्सन मण्डेला की आत्मकथा का नाम बताइएं (1 अंक)

(ii) नेल्सन मण्डेला को कितने वर्षों तक जेल में रहना पड़ा? वह किस देश से संबंधित थे? (2 अंक)

(iii) इस देश में स्वतंत्र चुनाव कब हुए? तथा इसके पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? (2 अंक)

8. स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। (6 अंक)

संवर्द्धित मूल्य

1. मानवीय मूल्यों का संवर्द्धन होगा।
2. लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगी।
3. विचार-अभिव्यक्ति के महत्व से अवगत होंगे।
4. मानवीय जीवन के आवश्यक तत्वों से अवगत होगें।

पाठ-6

समानता

परिचय

समानता की अवधारणा को एक मूल्य के रूप में संविधान में दर्ज किया गया है। इस अध्याय में समानता के पहलू को हर नजरिये से जाँचने, परखने का प्रयत्न किया गया है। समानता को नैतिक मूल्यों व राजनैतिक परिप्रेक्ष्यों में क्यों देखा जाना चाहिए या क्या समानता का अभिप्राय सभी के साथ हर परिस्थिति में समान बर्ताव करना है। समानता अपनाने हेतु हम क्या उपाय कर सकते हैं? साथ ही जीवन के हर क्षेत्र से असमानता को कैसे बिल्कुल कम से कम कर दिया जाये। ऐसे उपाय सुझाये जाने का प्रयास किया गया है।

समानता को प्रत्येक जीवन के पहलूओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। इन दृष्टिकोणों को समझते हुये प्रत्येक व्यक्ति को समाजवाद, उदारवाद व मार्क्सवाद जैसी अवधारणाओं का भी सामना करना पड़ता है इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से समानता की प्रकृति को समझते हुये विश्व में व्याप्त असमानता की स्थिति को समझ सकेंगे।

अधिगम परिणाम

- समानता के अधिकार को जान सकेंगे।
- समानता से जुड़े हर पहलू का महत्व समझा जा सकता है।
- प्रत्येक वर्ग के विकास की ओर ध्यान आकर्षित होगा
- समाज में व्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा।

विषय वस्तु

समानता का महत्व

मानव समाज को समानता सदैव से सामाजिक व नैतिक आदेश के रूप में प्रेरित करती रही है। साथ ही राजनैतिक रूप में भी यह उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें मनुष्य रंग, लिंग, वंश व राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्न होते हुये भी आपस में सांझीदार होते हैं।

समान मानव के महत्व के कारण ही मानवता के प्रति अपराध जैसी भावनाओं से मनुष्य की रक्षा होती है।

आधुनिक काल में जो सामाजिक संस्थाये कुछ विशेष हितों के आधार पर अराजकता को बढ़ावा देती है उनके विरूद्ध हमेशा से ही आवाजे उठती रही है। जैसे कि 18वीं शताब्दी फ्रांस की क्रान्ति 20वीं शताब्दी में, एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष आदि इसी प्रकार स्त्रियों व दलितों के लिये भी समानता एक स्वीकार्य

आदर्श बनता जा रहा है। इन सब बातों को अधिकतर देशों के संविधान में शामिल किया गया है। परन्तु फिर भी चारों ओर असमानता व्यापक रूप में नजर आती रहती है। सरकारी व निजी स्कूलों या आलीशान घरों व झोपड़ियों के बीच का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। विश्व स्तर पर असमानताओं को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े भारत में भी 2001 की जनगणना के आधार पर घरेलू सपंदा व सुविधाओं के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत है उनके आधार पर व्याप्त असमानतायें दृष्टिगोचर होती है। जैसे बिजली कनेक्शन गाँवों में यदि 44% है तो शहरों 88%, टेलीविजन गाँवों में 19% तो शहरो में 64% लोगों के पास थे।

वैसे तो हर व्यक्ति समानता के प्रति संवेदनशील बनता दिखता है परंतु विश्वव्यापी धन-संपदा व अवसरो की असमानता चारो ओर दिखाई देती है। विश्व भर में यह चिंता का विषय बना रहा है कि मनुष्य का सामाजिक विकास व सम्पन्नता उसकी योग्यता पर निर्भर रहती है जो कि हमारी सामाजिक स्थिति व नियमों पर निर्भर रहती है।

इन्हीं उपरोक्त कारणों के चलते समानता का विषय राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतो का अध्ययन करने वालो के लिये एक केन्द्रिय विषय बन गया है। यह एक विवादास्पद मुद्दा बनाया जा रहा है कि क्या आप के अतंर को मिटा देना चाहिये या हमें सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिये।

समानता क्या है–

मानव जाति में रंग व जाति के आधार पर भेदभाव किसी को भी मान्य नहीं हो सकता। समाज के कार्य रूप को सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्य विभाजन जरूरी हो जाता है। विशेष परिस्थिति में सुझाव देना जैसे प्रधानमंत्री को विशेष सरकारी दर्जा आदि स्वीकार्य होता है।

समानता के आदर्श से जुड़ने का अभिप्राय यह नहीं है कि सभी तरह के अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाए परंतु अवसरों की प्राप्ति सामाजिक या जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए।

अवसरों की समानता

मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षित आवास जैसी सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता कहीं भी अन्यापूर्ण मानी जायेगी परंतु समाज में लोग अपने अधिकारों व अवसरों के हकदार होते है। जो कि उनकी योग्यता पर आधरित हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति का किसी सम्मान पूर्ण या सफल पद प्राप्ति जैसे वकील या क्रिकेटर आदि को असमानता नहीं कहा जा सकता।

प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएँ

प्राकृतिक असमानता जन्मजात विशिष्टता या योग्यता का परिणाम हो सकती है। जबकि सामाजिक असमानताएं समाज में पैदा हो जाती है। जोकि समाज में अवसरों की असमानता या एक समूह द्वारा दूसरे समूह के शोषण के कारण व्याप्त होती है। शारीरिक श्रम करने वालों की बजाय बौद्धिक कार्यो को अधिक महत्व दे दिया जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के भेदभाव भी अनुचित लग सकते है।

सामाजिक व प्राकृतिक असमानताओं में अतंर करने से अन्यायपूर्ण भेदभाव सामने आ जाते हैं।

सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक समानता

लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था में नागरिकों को अपने विकास के लिये कुछ मूल अधिकार जैसे मतदान, संगठन बनाने, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, व धार्मिक आदि अधिकार राजनैतिक समानता के अंतर्गत आते है, इसी प्रकार जाति, लिंग, व

धर्म के आधार पर भेदभाव न करके अवसरो की समानता के अधिकार सामाजिक समानता के अंतर्गत निहित है। भारत में मुख्य समस्या समान अवसरों की कमी न होकर कुछ पुराने रीति–रिवाज है। जैसे कुछ कार्यकलापों में जैसे सेना आदि में महिलाओं का उत्तराधिकार न होना आदि।

लोगों में जागरूकता पैदा करके और अपने अधिकारों का प्रयोग करने वालो का समर्थन करके राज्य अपनी भूमिका उचित प्रकार से निभा सकते हैं।

इसी प्रकार सभी को उनकी योग्यतानुसार कार्य प्रदान करके आर्थिक समानता बनाई जा सकती है। साथ दी समान अवसरों की उपलब्धता नागरिको को प्रतिभा के आधार पर अपनी हालत सुधारने का मौका प्रदान करते हैं।

परंतु समाज में अपने आप समानता व न्याय स्थापित नहीं हो सकता इसके लिये उदारवादी सिद्धांतो के अनुसार समाज में संसाधनों व लाभ के वितरण के उचित तरीके राज्यों की सरकारो द्वारा अपनाये जाने होंगे। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने देश भारत में ही ज्यादातर विद्यार्थी व्यवसायिक पाठयक्रम में सीट चाहते है परंतु प्रवेश की जटिल प्रक्रियाओं के चलते सरकार समय-समय पर हस्तक्षेप करती रहती है।

कानून व रीति रिवाजो के चलते समाज के काफी हिस्से अपने अधिकारों से वंचित हो जाते है कुछ देशों में कुछ विशिष्ट परिवारों को ही सर्वोच्च पद प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक औपचारिक समानता की स्थापना करना अति आवश्यक हो जाता है।

समानता के सिद्धांत को वास्तविकता में बदलने के लिये कानून के समझ समानता भी जरूरी है। इसी प्रकार सकारात्मक कार्यवाही के चलते कुछ विशेष वर्ग जैसे विकलागों या महिलाओं को विशेष सुविधाऐं प्रदान करके समान स्तर पर लाया जा सकता है। जो समुदाय काफी समय से पीड़ित व समान अवसरो से वचिंत रहे है सकारात्मक कार्यवाही के रूप में उच्च शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान अनुचित नहीं प्रतीत होता, परंतु कुछ विशेष वर्ग का मानना है कि आरक्षण भी एक प्रकार से भेदभाव की प्रक्रिया है जो समाज को विभाजित करता है। इस अधिकार के अंतर्गत भी प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिये।

भारतीय संदर्भ में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में वंचित जनसंख्या के लिये कोई विशेष कदम पूरे सफल नहीं हुये है गाँवों तथा झुग्गी बस्तियों के बच्चों को मौलिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो रहीं, विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग से समानता के आधार पर गरीब वर्ग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा।

समान अवसर के लक्ष्य से हाँलाकि सभी सहमत है मुख्य रूप से राज्यों को ही इसके लिये समुचित कदम उठाने है ताकि बच्चो की योग्यता का विकास हो सके। वंचितों की पहचान का मुख्य आधार आर्थिक ही होना चाहिये।

इसी प्रकार नारीवादी आंदोलन के द्वारा समानता के उदेश्यों पर जोर दिया गया है। पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिये उन्हे विशेष व्यवहार की जरूरत होती है जैसे कामकाजी स्त्रियों के लिये आँगनबाडी की सुविधा आदि।

संक्षेप में न्यायोचित व समान मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण इस प्रकार के कई मुद्दो पर ध्यान देकर ही किया जा सकता है।

पाठगत अवधारणायें

प्राकृतिक समानता–

1. मनुष्य जन्म से समान पैदा होता है और अपने अधिकारों के संबंध में समान ही रहता है।

2. मार्क्सवाद–मार्क्सवाद के अनुसार सभी व्यक्ति समान है क्योंकि सभी की सामाजिक व भौतिक आवश्यकतायें समान होती है।

3. सकारात्मक कार्यवाही–निश्चित अवधि के लिये विशेष प्रकार की दी गई सुविधा! (आरक्षण)

4. अभिजातवर्ग–आर्थिक रूप से स्वयं को बहुत सुदढ़ मानने वाले लोग।

5. आरक्षित स्थान–किसी वचिंत समूह को अवसर की समानता देने के लिये नौकरियों व शिक्षा में विशेष स्थान या आरक्षण की नीति।

6. सार्वभौम मानवाधिकार–सभी मनुष्य समान महत्व रखते हुऐ समान सम्मान पाने योग्य है।

प्रस्तावित क्रियाकलाप

- भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले आकंड़ों का प्रस्तुतीकरण सूचीबद्ध तरीके से करें।
- पुरुष व स्त्रियों को समान अधिकार क्यों प्राप्त होने चाहिये इस पर वाद-विवाद करें।

प्रश्न/उत्तर

1 अंक

1. समानता से आपका क्या अभिप्राय है।
2. समानता के कोई दो आयामों के नाम लिखो?
3. प्राकृतिक समानता का क्या अर्थ है?

2 अंक

1. अवसरो की समानता से क्या समझते है?
2. किस प्रकार कोई 'सकारात्मक कार्यवाही की जा सकती है?

4 अंक

1. समाज में समानता का क्या महत्व है?

5 अंक

1. नारीवाद आंदोलन के आधार पर किस प्रकार महिलाओं को समान अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।

   या

   अपने विद्यालय के छात्रों की आर्थिक व सामाजिक असमानताओं की सूची बनाओं।

6. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1968 के नस्ली भेदभाव से संबंधित चार्ट को विवरण देते हुये बनाये?

संवर्धित मूल्य

- विश्व में व्याप्त असमानताओं पर छात्रों का ध्यान आकर्षित होगा।
- छात्र इन असमानताओं को दूर करने के हल खोजने का प्रयास करेंगें।
- महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग की समस्याओं को समझने व इन्हे दूर करने का प्रयास करेंगे।
- भारत में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा व सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की पहल करेंगे।
- समानता के अधिकार के आधार पर देश को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न करेंगें।

पाठ–7

धर्मनिरपेक्षता

परिचय

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पंसद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना तो जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए। संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश में कई समुदाय थे उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसे संस्कृति थी। अत: इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था कि कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पंसद के धर्म का पालन करने का अधिकार है भारत में लंबे समय से चली आ रही सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयत्न किया। भारत में अनेक भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना सामाजिक न्याय के लिए जरूर समझा गया।

अधिगम परिणाम

1. भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के अर्न्तगत धार्मिक स्वतन्त्रता के महत्व की समझ सकेगें।
2. धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को समझ सकेंगें।
3. देश की एकता और अखण्डता के लिए "धार्मिक स्वतन्त्रता" की आवश्यकता को समझ सकेगें।
4. सभी धर्मों का आदर कर सकेगें।

विषय वस्तु

भारत में धर्म निरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद–विवादों ओर परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले पेंचीदा है। जैसे राजनेताओं का शपथ लेना, कि राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष है तो दूसरी ओर तमाम किस्म की चिन्ताएं और सन्देह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं।

पुरोहितो, धार्मिक राष्ट्रवादियों, राजनीतिज्ञों व सामाजिक कार्यकत्ताओं व शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। अत: हमें जानना होगा कि–

- क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिन में धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है।
- क्या धर्म निरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है?
- क्या धर्मनिपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह है?
- क्या इससे अल्पसंख्यकों का 'तुष्टीकरण' होता है।
- क्या धर्मनिरपेक्षता, धर्मविरोधी होती है।
- 1984 के हिन्दु-सिक्ख दंगे।
- हजारो कश्मीरी पण्डितों को घाटी छोड़कर आना पड़ा।
- सन् 2002 में गुजरात में हिन्दु मुसलमान दंगे।

उपरोक्त उदाहरणों में भेदभाव की भावना दिखती है। क्योंकि इन सभी में एक खास धार्मिक समुदायों के लोगों को निशाना बनाया गया है। ये अन्तर-धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों के उत्पीड़न के मामले है।

धर्मनिरपेक्षता अन्तर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है अन्त: धार्मिक वर्चस्व का भी विरोध करता है। जैसे–धर्म निरपेक्षता क्या है?

यद्यपि यहूदियों को यूरोप में भेदभाव झेलना पड़ा। वहीं वर्तमान यहूदी में इजरायल राष्ट्र में इसाई और मुसलमानों दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक है वे उन आर्थिक लाभों से वंचित रहे जो यहूदी नागरिकों को मिले। पड़ोसी देश में पाकिस्तान व बंग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया। इस तरह के उदाहरण याद दिलाते है। धर्म निरपेक्षता को संविधान में मौलिक अधिकार में रखा गया है। उसके बावजूद भी धर्म के बीच वर्चस्ववाद देखने को मिलता है निम्न उदाहरण दिए गए है–

1. धर्म स्त्री-पुरुष में भेद करते है।
2. हिन्दु धर्म में कुछ तबके पीड़ित है जैसे–दलितों को हिन्दु मन्दिरों में प्रवेश वर्जित करने की कोशिश की गई है।
3. अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़ीवादिता बड़ी समस्या है।
4. अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है।

धर्म निरपेक्षता नियामक सिद्धान्त है जो धर्मनिरपेक्ष समाज, अर्थात अन्तर धार्मिक तथा अंत: धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है।

सकारात्मक रूप से धर्म के अन्दर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अन्दर समानता को बढ़ावा देता है। राज्य सत्ता किसी खास धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए।

धर्म तान्त्रिक राष्ट्र : पुरोहित व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र–धर्म तान्त्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतान्त्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणी बद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतन्त्रता से जागृत करता है।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल

धर्मनिरपेक्ष राज्यों में न तो धर्मतान्त्रिक है नहीं खास धर्म की स्थापना ही करते है। इसमें मुख्यत: अमेरिकी मॉडल है, जो धर्म व राज्य को अलग बताता है। राज्यसत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। नाही धर्म राज्यसत्ता के मामले में हस्तक्षेप करेगा। दोनों के अलग-अलग क्षेत्र है।

- धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं हो सकती। नहीं तो धर्म की हस्तक्षेप राज्यसत्ता के मामले में मानी जाएगी।
- ऐसे ही राज्य किसी भी धर्म को मदद नहीं देगा। सभी धार्मिक के समुदायों की गतिविधि कानून द्वारा निर्मित सीमा के अन्दर है इस लिए राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा चाहे धार्मिक आधार पर पुरुष स्त्री को भेदभाव किया जाए जैसे पुरोहित स्त्री नहीं बनेगी। अर्थात धर्म एक निजी मामला है। ऐसे में समानता का हनन होता है। ओर अल्पसंख्यक की अवहेलना होती है। और धर्म में अंत: धार्मिक वर्चस्व ही रहता है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल

भारतीय संविधान को पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल कहा है पर ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी से भिन्न है।

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबध विच्छेद पर जोर देता है। अन्तर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- भारत में पहले से ही अन्तर-धार्मिक 'सहिष्णुता' व्याप्त है। सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। यह सभी को मौका देती है। परन्तु यह सीमित होती है।
- सहिष्णुता बर्दाश्त की क्षमता भी बढ़ती है जिन्हें नापसन्द करते है। यह उस समाज के लिए भारी गुण है जो किसी बड़े गृहयुद्ध से उभर रहा है। मगर शान्ति के समय में नहीं, जब लोग समान मान-मर्यादा के लिए सघर्षरत हो।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएँ

धर्म विरोधी

1. धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है ऐसा कहना गलत है क्योंकि असमानता को खत्म कर समानता को लाना धर्म विरोधी नहीं हो सकता।
2. **धर्म निरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा :** यह भी तर्क अनुचित है क्योंकि स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना धार्मिक पहचान की सुरक्षा है।

पश्चिम से आयातित : धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी देशों से लाया हुआ कहा जाता है जबकि लाया भी हो तो क्या हुआ? परन्तु फिर भी पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है–

– शान्ति को बढ़ावा, राज्य और धर्म में सैद्धान्तिक दूरी बनाना

– खास समुदाय की रक्षा करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है।

भारतीय समाज में पहले मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंत क्रिया शुरू हुई जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ले लिया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंत धार्मिक व अन्तर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केन्द्रित किया इसने हिन्दुओं के अन्दर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों व ईसाई के अन्दर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है।

- दूसरी भिन्नता भारतीय धर्म निरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी से भी है। इस के अर्न्तगत हर आदमी अपनी मर्जी का धर्म अपना सकता है साथ ही संस्कृति व शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है।
- तीसरी भिन्नता धर्मनिपरेपेक्ष राज्य को अंतर वर्चस्व के मामले राज्य को सुधार की गुजाइंश है जैसे–

– अस्पृश्ता पर प्रतिबन्ध किया है।

– बाल विवाह पर प्रतिबन्ध किया है।

– अर्न्तजातिय विवाह पर कानून बनाया है।

भारतीय राज्य ना तो धर्मतान्त्रिक है ना ही राजधर्म मानता है ऐसे में अमेरिकी शैली में धर्म अलग हो सकता है, और सम्बन्ध बना सकता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्व धर्म सम्भाव में समाहित नहीं हो पाती।

क्योंकि जब सभी धर्म समान कहते है तो धर्म के आधार पर अन्दरूनी धार्मिक भेदभाव जैसे हिन्दु धर्म में दलित समाज को नकारना ऐसे में राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। धर्म में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना संवैधानिक समानता की जड़ को मजबूत करना है।

अल्पसंख्यक वाद

- तीसरी आलोचना अल्पसंख्यको की संवैधानिक कानूनों द्वारा रक्षा की जाती है। अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा के लिए जायज है।
- अल्पसंख्यकों को विकास करने के लिए जो सुविधाएँ दी जाती है उन को लम्बे समय से राज्यसत्ता में भागेदारी से वंचित रहने के कारण दी गई है। इसलिए अलोचना करना ठीक नहीं है।

अतिशय हस्तक्षेपकारी

- चौथी आलोचना धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है ओर समुदायों की धार्मिक स्वतन्त्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है।
- राज्यसत्ता धार्मिक सुधार की इजाजत देती है।

● विभिन्न धर्मों में निजी कानून में सुधार अभी तक नहीं हुआ जब कि राज्य समानता के आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है। अलग-अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं।

निजी कानूनों को सुधारा जा सकता है

● स्त्री पुरुष में समानता लाई जा सकती है। साथ ही राज्य सत्ता को हर धर्म के अन्दर उदारवादी और लोकतान्त्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिये मददगार की भूमिका निभानी होगी।

वोट बैंक की राजनीति

● कभी राजनेता वोटो के लिए धर्म को व्यक्तिगत मामला मानते है तो कभी किसी विशेष परिस्थितियों में धर्म में हस्तक्षेप का होना जरूरी है वोट बैंक की राजनीति अन्याय को जन्म देती है महज यह तथ्य की धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते है।

एक असम्भव परियोजना : धर्मनिरपेक्षता को अंसभव माना गया है परन्तु ऐसा नहीं है आज वैश्वीकरण के फैलाव ने पूरे विश्व को गतिशीलता प्रदान की साथ ही यूरोप, अमेरिका व मध्य पूर्व के कुछ हिस्से धर्म व संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे हैं।

पाठगत अवधारणाएँ

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपिय मॉडल–धर्म और राज्य सत्ता के संबंध में विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसी प्रकार धर्म राज्यसत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल : भारतीय धर्मनिरपेक्षा केवल धर्म और राज्य के सम्बन्ध विच्छेद पर बल नहीं देती है। अंतर–धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पाठगत क्रियाकलाप

1. सदभावना बढ़ाने के लिए "धार्मिक त्यौहार" पर
   - एक-दूसरे के त्यौहारों पर एकत्र होना।
   - एक-दूसरे को अपने-अपने पकवान खिलाना
2. सभी धर्मों की विशेषता बताते हुए सभी धर्मों के प्रति आदर भाव जगाने पर चर्चा करना
3. धार्मिक स्थलों के चित्र एकत्र करवा कर उनकी शिक्षाओं पर आधारित बातें लिखवाना।

पाठगत प्रश्न

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतन्त्रता दी गई है। 1 अंक
2. भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान माना है। यह हम किस आधार पर कह सकते हैं? 1 अंक
3. पाकिस्तान का राज्य धर्म क्या है? 1 अंक

4. धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? 2 अंक

5. धर्मतान्त्रिक राष्ट्र से क्या अभिप्राय है? 2 अंक

6. धर्मनिरपेक्षता भारत की एकता और अखण्डता की एक मात्र गारंटी है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए? 4 अंक

7. भारतीय धर्मनिरपेक्षता ओर पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता की अवधारणा में अन्तर स्पष्ट कीजिए? 4 अंक

8. भारतीय धर्म निरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन् उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को समझाइये। 6 अंक

संवर्धित मूल्य

1. धर्मनिरपेक्ष भावना को बढ़ाना
2. देश में सोहार्दपूर्ण "बन्धुत्व" भावना को बढ़ाना।
3. सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव जागृत करना।

❑❑❑